

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय



वार्षिक लेखा

2020-21

सूची (इंडेक्स)

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	1
2	आय एवं व्यय लेखा	2
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूचियाँ		
3	अनुसूची 1- पूँजीगत निधि	3
4	अनुसूची 2- समग्र निधि	4
5	अनुसूची 3- निर्दिष्ट/ उद्दिष्ट / अक्षय निधि	5
6	अनुसूची 3क-अक्षय निधि एवं चेयर	6-7
7	अनुसूची 4- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	8
8	अनुसूची 4.6(ख) प्रायोजित परियोजनाओं के निमित्त प्राप्तियां	9
9	अनुसूची 4.6(ग) प्रायोजित अध्यक्षतावृत्तियों के निमित्त प्राप्तियां	10
10	अनुसूची 4.6(घ एवं ङ.) यूजीसी तथा भारत सरकार की ओर से अप्रयुक्त अनुदान	11
11	अनुसूची 5- स्थायी परिसंपत्ति	12
12	अनुसूची 5क- स्थायी परिसंपत्ति (योजनागत)	13
13	अनुसूची 5ख- स्थायी परिसंपत्ति (योजनेत्तर)	14
14	अनुसूची 5ग- अमूर्त परिसंपत्ति (इंटेजिबल एसेट्स)	15
15	अनुसूची 5घ- पेटेन्ट एवं कॉपीराइट	16
16	अनुसूची 5ङ- स्थायी परिसंपत्ति (अन्य)	17
17	अनुसूची 6- समग्र निधि से किए गए निवेश तथा उद्दिष्ट/अक्षय निधि	18
18	अनुसूची 7- वर्तमान परिसंपत्ति	19
19	संलग्नक क अनुसूची 7	20
20	अनुसूची 8- ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	21
31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की अनुसूचियाँ		
21	अनुसूची 9- शैक्षिक प्राप्तियां	22
22	अनुसूची 10- अनुदान/सहायिकी (अविकल्पी अनुदान तथा प्राप्त हुई सहायिकी)	23
23	अनुसूची 11- निवेश से हुई आय	24
24	अनुसूची 12- अर्जित व्याज	25
25	अनुसूची 13- अन्य आय	26
26	अनुसूची 14- पूर्व अवधि की आय	27
27	अनुसूची 15- स्थापना खर्च	28
28	अनुसूची 15क- कर्मचारी सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ	29
29	अनुसूची 16- शैक्षिक खर्च	30
30	अनुसूची 17- प्रशासनिक खर्च एवं सामान्य खर्च	31

31	अनुसूची 18- परिवहन खर्च	32
32	अनुसूची 19- मरम्मत एवं रखरखाव	33
33	अनुसूची 20- वित्त लागत	34
34	अनुसूची 21- अन्य खर्च	35
35	अनुसूची 22- पूर्व अवधि के खर्च	36

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की अनुसूचियाँ

36	अनुसूची 23- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	37-43
37	अनुसूची-24 आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं के नोट	44-47

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

38	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	48
----	---	----

जीपीएफ / सीपीएफ एवं एनपीएस लेखा

39	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि लेखा-तुलनपत्र	49
40	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष का भविष्य निधि लेखा-आय एवं व्यय लेखा	50
41	वित्त वर्ष 2020-21 का भविष्य निधि लेखा- प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	51
42	एनपीएस टियर-1 खाता तुलन पत्र (31 मार्च, 2021 के अनुसार)	52
43	एनपीएस टियर-1 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा	53
44	एनपीएस टियर-1 वित्त वर्ष 2020-21 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	54

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनापत्र

देयताएं	अनुसूची	राशि रु. में	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि			
समग्र निधि	2	49,03,80,430	45,29,65,537
निर्दिष्ट / उद्दिष्ट / अक्षय निधि	3	1,48,73,46,820	1,40,94,96,505
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	4	18,23,62,92,578	17,21,66,68,171
कुल		20,21,40,19,828	19,07,91,30,214
परिसंपत्ति			
स्थायी परिसंपत्ति (नेट ब्लॉक)	5	3,42,58,65,027	3,38,79,35,955
मूर्त परिसंपत्ति		2,29,34,52,055	
चालू पूंजीगत कार्य		1,11,02,41,845	
अमूर्त परिसंपत्ति		2,21,71,127	
उद्दिष्ट / अक्षय निधि से किए गए निवेश	6	1,45,56,17,049	1,41,80,03,470
दीर्घावधि		7,45,62,000	
लघु अवधि		1,38,10,55,049	
वर्तमान परिसंपत्ति	7	2,38,81,15,911	2,62,05,78,978
ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि	8	1,16,02,83,717	1,09,46,19,877
पूंजीगत निधि	1	11,78,41,38,124	10,55,79,91,935
कुल		20,21,40,19,828	19,07,91,30,214

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

23

आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट

24

11/11/20

मयंक कश्यप

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

धरम पाल

सहायक वित्त अधिकारी

प्रो. सतीश चंद्र गरकोटी

प्रो. सतीश चंद्र गरकोटी

वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	अनुसूची	चालू वर्ष	राशि रु. में
			पिछला वर्ष
क. आय			
शैक्षिक प्राप्तियां	9	3,89,08,404	6,49,36,698
सहायक अनुदान राशि / सहायिकियां	10	3,69,66,86,834	4,11,49,91,966
निवेश से प्राप्त आय	11	4,11,68,549	3,00,36,263
अर्जित ब्याज	12	30,92,831	86,91,885
अन्य आय	13	10,38,06,114	10,34,86,868
पूर्व अवधि की आय	14	12,80,110	5,08,112
कुल (क)		3,88,49,42,842	4,32,26,51,792
ख. व्यय			
स्थापना खर्च	15	4,08,32,15,424	5,25,04,23,559
शैक्षिक व्यय	16	11,99,41,816	19,74,08,214
प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च	17	77,14,98,896	92,38,49,947
परिवहन खर्च	18	9,94,696	18,37,160
मरम्मत एवं रखरखाव	19	4,84,09,875	4,81,75,218
वित्त लागत	20	15,06,086	10,48,144
अन्य खर्च	21	39,58,067	44,00,779
पूर्व अवधि के खर्च	22	12,00,30,410	2,52,25,796
मूल्यहास	5	19,81,51,545	23,85,48,086
कुल (ख)		5,34,77,06,815	6,69,09,16,903
खर्च से आय के अधिक होने के कारण शेष (क-ख)		-1,46,27,63,973	-2,36,82,65,112
अधिशेष / (घाटा) होने के कारण पूंजीगत निधि में अग्रणीत शेष		-1,46,27,63,973	-2,36,82,65,112
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियाँ	23		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा नोट	24		

मं. 50
मयंक कश्यप
 अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मं. 50
धरम पाल
 सहायक वित्त अधिकारी

मं. 50
प्रो. सतीश चंद्र गरकोटी
 वित्त अधिकारी

31-03-2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूचियां

अनुसूची 1- पूंजीगत निधि

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	-10,55,79,91,935	-8,30,11,55,868
जमा: यूजीसी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त अनुदान राशि	22,95,41,081	10,55,16,285
जमा: समग्र निधि एवं उद्दिष्ट निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	2,50,908	57,000
जमा: प्रायोजित परियोजना निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति	67,97,237	52,81,982
जमा: दान दी गई परिसंपत्ति/प्राप्त उपहार	28,559	5,73,778
कुल	-10,32,13,74,150	-8,18,97,26,823
(घटा) आय एवं व्यय लेखा से अंतरित घाटा	-1,46,27,63,973	-2,36,82,65,112
वर्ष के अंत में शेष	-11,78,41,38,124	-10,55,79,91,935

मार्क 50
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

श. व. ग. ग. ग.
वित्त अधिकारी

अनुसूची 2- समग्र निधि

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	45,29,65,537	40,27,43,758
जमा: पहचान शुल्क एवं प्रभार	2,10,39,105	2,74,93,838
जमा: परामर्श शुल्क का विश्वविद्यालय का हिस्सा	-	-
जमा: ब्याज एवं निवेश से प्राप्त ब्याज	1,90,80,080	2,44,12,661
जमा: बचत बैंक खाते पर ब्याज	9,937	66,859
कुल	49,30,94,659	45,47,17,116
घटा राजस्व खर्च	27,14,229	17,51,579
घटा पूंजीगत खर्च	-	-
कुल	27,14,229	17,51,579
वर्ष के अंत में शेष	49,03,80,430	45,29,65,537

॥ श्री ५०
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

स. च. जाधव
वित्त अधिकारी

अनुसूची 3- निरिद्ध / उद्दिष्ट / अक्षय निधि

विवरण	निधिवार व्यौरा										राशि रु. में	
	शैक्षिक विकास निधि	गृह निर्माण अग्रिम निधि	नियंत्रण फाउंडेशन निधि	यूजीसी जेआरएफ निधि	वाहन निधि	एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि	सेंटर ऑफ एप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स फंड	राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि	जेएनयू पूर्व छात्र अक्षय निधि	अक्षय निधि	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क.												
क) आदि शेष	13,35,33,535	26,51,80,373	10,27,00,604	72,11,302	6,69,71,998	37,84,606	87,252	37,12,51,475	10,021	45,87,65,340	1,40,94,96,504	1,34,45,88,850
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	9,36,967	-21,14,870	-	14,83,287	-	-	-	-	55,32,833	58,38,217	1,33,54,204
ग) निधियों के निवेश से प्राप्त आय	34,78,170	89,58,426	9,58,839	4,35,561	22,38,799	43,132	-	2,95,64,526	-	2,46,90,104	7,03,67,557	5,81,39,559
घ) निवेश / अग्रिम राशि से प्राप्त ब्याज	22,96,702	27,07,245	25,03,992	-	4,15,029	-	-	64,29,586	-	-	1,43,52,554	1,07,80,729
ङ) बचत बैंक खाते से प्राप्त ब्याज	3,057	6,618	42,181	3,335	5,014	1,00,369	2,397	1,22,418	275	2,30,680	5,16,344	4,19,875
च) अन्य प्रामिया/भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,39,813
कुल (क)	13,93,11,464	27,77,89,629	10,40,90,745	76,50,198	7,11,14,127	39,28,107	89,649	40,73,68,005	10,296	48,92,18,957	1,50,05,71,176	1,42,75,23,032
ख. निधियों के उद्देश्य के प्रति उपयोग / खर्च												
1) पूंजीगत खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,357	489,357	57,000
2) राजस्व खर्च	2,01,862	-	-	-	5,87,230	-	-	-	-	1,19,45,907	1,27,34,999	1,79,69,527
कुल (ख)	2,01,862	-	-	-	5,87,230	-	-	-	-	1,24,35,264	1,32,24,356	1,80,26,527
वर्ष के अंत में अंत शेष (क - ख)	13,91,09,602	27,77,89,629	10,40,90,745	76,50,198	7,05,26,897	39,28,107	89,649	40,73,68,005	10,296	47,67,83,693	1,48,73,46,820	1,40,94,96,505
प्रतिनिधित्वकर्ता												
रोकड़ एवं बैंक शेष	2,50,94,900	10,76,11,835	92,97,537	75,60,073	1,61,37,282	39,28,107	89,649	10,91,49,030	10,296	16,28,58,490	44,17,37,198	37,07,16,283
निवेश	11,10,00,000	16,25,00,000	9,22,89,217	-	3,50,00,000	-	-	27,61,68,624	-	31,33,68,553	99,03,26,394	99,50,34,915
आटो स्विप निवेश (एमओडी)	7,18,000	-	-	90,124	1,25,00,000	-	-	1,55,60,111	-	-	2,88,68,235	2,28,80,129
प्राप्त परंतु अशोध्य ब्याज	22,96,702	76,77,794	25,03,992	-	68,89,615	-	-	64,29,586	-	-	2,57,97,689	2,02,47,874
निधि में से अग्रिम राशि / प्राप्य राशि	-	-	-	-	-	-	-	60,654	-	5,56,650	6,17,304	6,17,304
कुल	13,91,09,602	27,77,89,629	10,40,90,745	76,50,198	7,05,26,897	39,28,107	89,649	40,73,68,005	10,296	47,67,83,693	1,48,73,46,820	1,40,94,96,505

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

श. व. जाड़कोट
वित्त अधिकारी

क्र.सं.	2. अक्षय (एंडोमेंट) का नाम	आदिशेष		वर्ष के दौरान परिवर्धन		कुल		9. वर्ष के दौरान ऑब्जेक्ट पर खर्च	अंत शेष		कुल (10+11)
		3. एंडोमेंट	4. संचित ब्याज/अनुदान	5. एंडोमेंट/चेयर	6. ब्याज	7. एंडोमेंट	8. संचित ब्याज/अनुदान		10. एंडोमेंट	11. संचित ब्याज/अनुदान राशि	
1	ए.एन. भद्र एंडोमेंट फंड	93,830	45,388		5,625	93,830	51,013		93,830	51,013	1,44,843
2	ए. रमेश राव एंडोमेंट	10,00,000	4,66,472		62,486	10,00,000	5,28,958	60,000	10,00,000	4,68,958	14,68,958
3	एनुअल लेक्चर-जेएन फॉरिन फॉलिसी	45,000	1,39,597		2,924	45,000	1,42,521		45,000	1,42,521	1,87,521
4	अपागुट्टी प्रोफेसरशिप इन इंटरनेशनल स्टडीज	28,00,000	54,53,756		2,10,676	28,00,000	56,64,432		28,00,000	56,64,432	84,64,432
5	ऑस्ट्रेलियन हाइ कमीशन	4,00,000	4,85,735		22,633	4,00,000	5,08,368		4,00,000	5,08,368	9,08,368
6	भगत सिंह चेयर	2,50,00,000	1,40,83,586		15,17,085	2,50,00,000	1,56,00,671		2,50,00,000	1,56,00,671	4,06,00,671
7	भारत सेवा श्रम संघ	6,00,000	7,94,984		36,050	6,00,000	8,31,034		6,00,000	8,31,034	14,31,034
8	बिंदु अग्रवाल-अर्पिता मिश्र अवाई	50,000	68,782		3,059	50,000	71,841		50,000	71,841	1,21,841
9	सेंटर फॉर एल एंड जी फोर्ड फाउंडेशन	1,90,35,546	1,37,48,388		16,39,781	1,90,35,546	1,53,88,169		1,90,35,546	1,53,88,169	3,44,23,715
10	चेयर फॉर ट्राइबल स्टुडेंट्स		7,22,845				7,22,845	3,07,496		4,15,349	4,15,349
11	चेयर इन क्लासिकल ग्रीक स्टडीज	1,54,83,014	4,99,386	20,83,315	3,88,450	1,75,66,329	8,87,836		1,75,66,329	8,87,836	1,84,54,165
12	कमोडोर एच.एल. परवाना एंडोमेंट	10,00,000	5,34,027		1,06,146	10,00,000	6,40,173		10,00,000	6,40,173	16,40,173
13	डी.एस. गर्दीजी एंडोमेंट फंड/सेंटर फॉर एसएस	16,00,000	9,26,850		95,132	16,00,000	10,21,982	36,000	16,00,000	9,85,982	25,85,982
14	देवेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल गोल्ड मेडल	10,000	9,617		606	10,000	10,223		10,000	10,223	20,223
15	दिवाकर मेमोरियल अवाई एंडोमेंट	2,00,000	68,537		13,674	2,00,000	82,211		2,00,000	82,211	2,82,211
16	डॉ. जयश्री राय एंडोमेंट	5,00,000	51,065		31,238	5,00,000	82,303	32,000	5,00,000	50,303	5,50,303
17	डॉ. रफेल इरुजू-बीटा फर्नांडिस	11,37,677	2,61,144		65,880	11,37,677	3,27,024		11,37,677	3,27,024	14,64,701
18	डॉ. एस.डी. शर्मा गोल्ड मेडल	15,000	14,216		974	15,000	15,190		15,000	15,190	30,190
19	डॉ. श्रीविद्या स्कॉलरशिप अवाई	20,000	27,612		1,308	20,000	28,920		20,000	28,920	48,920
20	एंडोमेंट ऑफ लेट जे.सी. टंडन	2,00,000	2,10,188		13,024	2,00,000	2,23,212		2,00,000	2,23,212	4,23,212
21	एंडोमेंट ऑफ प्रो. महाले, सीएफएस, एसएलएल एंड सीएस	10,000	11,762		651	10,000	12,413		10,000	12,413	22,413
22	जी. पार्थसारथी एंडोमेंट फंड फॉर सपोर्टिंग एससी/एसटी स्टुडेंट्स	13,79,041	24,58,440		78,059	13,79,041	25,36,499		13,79,041	25,36,499	39,15,540
23	जी.एस. सिंघल एंडोमेंट	2,00,000	1,55,453		11,700	2,00,000	1,67,153		2,00,000	1,67,153	3,67,153
24	गवर्नमेंट ऑफ बहरीन-एस्टेबलिशमेंट ऑफ चेयर	20,00,000	27,97,492		1,39,464	20,00,000	29,36,956		20,00,000	29,36,956	49,36,956
25	एच.सी. पांडे मेडल	50,000	22,584		3,272	50,000	25,856		50,000	25,856	75,856
26	इंडो रामा फेलोशिप फंड	100,000	1,28,677		6,506	100,000	1,35,183		100,000	1,35,183	2,35,183
27	आइपीआर चेयर एंडोमेंट - एमएचआरडी		10,29,413				10,29,413			10,29,413	10,29,413
28	जे.एस. खुराना एंडोमेंट	5,00,000	4,14,511		29,251	5,00,000	4,43,762		5,00,000	4,43,762	9,43,762
29	जवाहरलाल नेहरू प्रोफेसर चेयर/इनवार्नमेंटल	35,00,000	17,33,589		2,79,758	35,00,000	20,13,347		35,00,000	20,13,347	55,13,347
30	जीन मॉनेट चेयर लेक्चर/सेमिनार एंडोमेंट	10,44,974	-72,214			10,44,974	-72,214	2,72,421	10,44,974	-3,44,635	7,00,339
31	ज्वाइंट प्लांट कमिटी-जीओआइ	19,00,000	15,07,279		87,482	19,00,000	15,94,761		19,00,000	15,94,761	34,94,761
32	कन्नड़ लैंग्वेज चेयर	5,00,00,000	91,07,685		2,73,427	5,00,00,000	93,81,112	25,13,622	5,00,00,000	68,67,490	5,68,67,490
33	कनूप्रिया भारद्वाज अवाई	20,000	19,983		1,308	20,000	21,291		20,000	21,291	41,291
34	कोरियन फाउंडेशन	65,71,000	66,36,536		1,77,059	65,71,000	68,13,595	9,35,250	65,71,000	58,78,345	1,24,49,345
35	लेट आदित्य सी. सेंटर फॉर स्पेनिस स्टडीज	13,149	8,202		768	13,149	8,970		13,149	8,970	22,119
36	अम्बेडकर चेयर	15,00,000	-55,20,604	15,00,000		30,00,000	-55,20,604	17,46,451	30,00,000	-72,67,055	-42,67,055
37	लेट जुही प्रसाद अवाई	22,292	7,102		1,278	22,292	8,380		22,292	8,380	30,672
38	प्लानिंग कमीशन फॉर क्रिश्चियन ऑफ चेयर	1,35,00,000	52,49,329		8,29,107	1,35,00,000	60,77,436		1,35,00,000	60,77,436	1,95,77,436
39	मराठी चेयर एंडोमेंट	1,50,00,000	1,14,06,397		9,37,311	1,50,00,000	1,23,43,708		1,50,00,000	1,23,43,708	2,73,43,708

40	एम.जे.के. तावराज मेमोरियल मेमोरियल फंड	1,59,920	2,57,362		9,372	1,59,920	2,66,734		1,59,920	2,66,734	4,26,654
41	नुरुल हसन - इंडोमेंट ई एंड आरएफ स्कॉलरशिप	7,50,000	7,23,861		44,180	7,50,000	7,68,041		7,50,000	7,68,041	15,18,041
42	प्रफुल्ल कुमार पौनी इंडोमेंट	5,00,000	2,95,208		33,101	5,00,000	3,28,309	20,000	5,00,000	3,08,309	8,08,309
43	प्रो. अप्पादुरै एंड लक्ष्मी अप्पादुरै ट्रस्ट	1,36,888	1,71,565		9,171	1,36,888	1,80,736		1,36,888	1,80,736	3,17,624
44	प्रो. दलीप सिंह अवाई	25,000	34,518		1,741	25,000	36,259		25,000	36,259	61,259
45	प्रो. जी.के. चड्ढा एंडोमेंट	5,00,000	1,05,843		32,399	5,00,000	1,38,242		5,00,000	1,38,242	6,38,242
46	प्रो. लेट उर्मिला फडनिस एंडोमेंट	10,000	9,835		585	10,000	10,420		10,000	10,420	20,420
47	प्रो. मारकंडे गोल्ड मेडल	10,000	12,963		651	10,000	13,614		10,000	13,614	23,614
48	प्रो. पी.एन. श्रीवास्तव एंडोमेंट	11,98,655	3,09,299		73,168	11,98,655	3,82,467		11,98,655	3,82,467	15,81,122
49	प्रो. टी.के. ऊम्मन एंडोमेंट/सेटर फॉर स्टडी सिस्टम/एसएसएस	100,000	46,182		5,568	100,000	51,750		100,000	51,750	1,51,750
50	रेलवे बोर्ड (अशोक गुहा)	78,50,000	31,49,780		5,89,227	78,50,000	37,39,007	86,006	78,50,000	36,53,001	1,15,03,001
51	राजीव गांधी चेर	1,15,00,000	91,81,435		7,78,597	1,15,00,000	99,60,032		1,15,00,000	99,60,032	2,14,60,032
52	रमन पौनी एंडोमेंट	6,11,628	3,19,666		39,220	6,11,628	3,58,886		6,11,628	3,58,886	9,70,514
53	आरबीआइ एंडोमेंट चेर	4,13,50,000	77,39,014		29,24,415	4,13,50,000	1,06,63,429	1,770	4,13,50,000	1,06,61,659	5,20,11,659
54	सज्जाद जहीर एंड राजिर सज्जाद अवाई	100,000	11,318		6,043	100,000	17,361		100,000	17,361	1,17,361
55	सरोजिनी नायडू मेमोरियल फंड	30,608	1,02,384		1,863	30,608	1,04,247		30,608	1,04,247	1,34,855
56	शीला जुब्रिंग-फेलोशिप सेंटर फॉर एसएस	25,000	17,335		1,628	25,000	18,963		25,000	18,963	43,963
57	शिशिर गुप्ता मेमोरियल फंड	14,040	34,513		824	14,040	35,337		14,040	35,337	49,377
58	श्रीमती कैलाश हंस भल्ला एंडोमेंट	5,00,000	76,782		29,944	5,00,000	1,06,726		5,00,000	1,06,726	6,06,726
59	श्री राम मेमोरियल प्राइज फंड	9,946	29,694		606	9,946	30,300		9,946	30,300	40,246
60	सुलक्षणा देवी महाजन मेमोरियल प्राइज फंड	6,100	24,207		387	6,100	24,594		6,100	24,594	30,694
61	टैगोर सोसायटी/मैट्रम किम यांग शिक एंडोमेंट	5,00,000	3,54,284		29,944	5,00,000	3,84,228		5,00,000	3,84,228	8,84,228
62	तमिल डिवलपमेंट चेर	50,00,000	32,74,797		3,42,167	50,00,000	36,16,964		50,00,000	36,16,964	86,16,964
63	तंदुलकर ट्रस्ट	84,641	2,24,691		5,327	84,641	2,30,018		84,641	2,30,018	3,14,659
64	विमला सरन मेमोरियल कॉर्पस फंड	30,000	16,250		1,757	30,000	18,007		30,000	18,007	48,007
65	ओड़िया चेर	5,00,00,000	-18,48,154		20,69,268	5,00,00,000	2,21,114	37,06,621	5,00,00,000	-34,85,507	4,65,14,493
66	सुनगुम सुधर स्कॉलरशिप एंडोमेंट	3,05,25,000	34,59,526		18,19,495	3,05,25,000	52,79,021	2,55,862	3,05,25,000	50,23,159	3,55,48,159
67	सीजेएस एल्यूमनी एंड एन्यूअल मेमोरियल लेक्चर	7,91,888	57,387		44,824	7,91,888	1,02,211	7,000	7,91,888	95,211	8,87,099
68	शारदा प्राइज एंडोमेंट	11,00,000	1,32,263		66,750	11,00,000	1,99,013		11,00,000	1,99,013	12,99,013
69	नमस्ते गवर्नर्स अरुणाचल एंड नागालैंड	5,00,000	39,146		30,410	5,00,000	69,556	16,500	5,00,000	53,056	5,53,056
70	कन्नड लैंग्वेज चेर आनलाइन कोर्स	29,72,720	-29,65,048			29,72,720	-29,65,048		29,72,720	-29,65,048	7,672
71	आईसीएम की डॉ ए एस पेंटल विशिष्ट वैज्ञानिक चेर	35,74,260	-28,75,146	19,49,518		55,23,778	-28,75,146	7,14,582	55,23,778	-35,89,728	19,34,050
72	परतो चेर		-22,62,453				-22,62,453	14,85,234		-37,47,687	-37,47,687
73	इकमटेक्स पेयेबल		2,39,813		15,14,452		17,54,265	17,52,901		1,364	1,364
74	इंटेरेस्ट आन आटो स्वीप लैंग्वेज		2,84,75,223		86,25,320		3,71,00,543			3,71,00,543	3,71,00,543
75	इंटेरेस्ट आन आवरहेड इनवेस्टमेंट		57,17,610				57,17,610			57,17,610	57,17,610
76	इंटेरेस्ट आन सेविंग बैंक अकाउंट		13,91,777		2,30,680		16,22,457			16,22,457	16,22,457
	कुल	34,48,94,097	11,38,71,242	55,32,833	2,64,35,236	33,24,99,650	15,82,33,758	1,39,49,716	33,24,99,650	14,42,84,042	47,67,83,692

ममके 50
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

स. व. गडकरी
वित्त अधिकारी

क. वर्तमान देयताएं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2020-21	2019-20
1 स्टाफ की ओर से जमा राशि	6,99,469	9,33,469
2 छात्रों की ओर से जमा राशि	43,35,616	42,26,174
3 विविध देनदार		
क) माल (सामान) हेतु	28,39,712	28,06,542
4 जमा राशि - अन्य (बयाना जमाराशि, सुरक्षा प्रतिभूति सहित)		
क) बयाना जमाराशि	15,05,307	22,04,286
ख) सुरक्षा प्रतिभूति	44,77,818	32,19,041
ग) अन्य जमा राशि	14,55,46,180	6,10,28,849
5 वैधानिक देयताएं (जीआइएस, जीपीएफ, एनपीएस, सीपीएफ, टीडीएस, संविदा कार्य कर आदि)		
क) अतिदेय		-
ख) अन्य	64,00,725	8,58,563
6 अन्य वर्तमान देयताएं		
क) वेतन	12,22,98,485	18,79,99,988
ख) चालू प्रायोजित / परामर्श / परियोजनाओं के निमित्त प्राप्ति	72,45,42,926	69,05,46,551
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्तियों के निमित्त प्राप्ति	37,94,95,893	40,29,95,465
घ) अप्रयुक्त अनुदान राशि	8,26,34,208	20,09,47,721
च) अन्य देयताएं	6,26,05,231	4,72,07,090
छ) अन्य निधियों से अंतरण के लिए प्रतीक्षित भुगतान	90,49,42,176	73,60,98,537
7 अग्रिम स्वरूप प्राप्त आय	1,18,12,166	1,03,89,717
कुल (क)	2,45,41,35,911	2,35,14,61,991
ख) प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2020-21	2019-20
1. अधिवर्षिता / पेंशन	13,84,06,93,999	12,96,58,18,949
2. उपदान (ग्रेच्युटी)	89,71,05,536	89,39,22,680
3. छुट्टी नकदीकरण	1,04,43,57,132	1,00,54,64,551
कुल (ख)	15,78,21,56,667	14,86,52,06,180
कुल (क+ख)	18,23,62,92,578	17,21,66,68,171

अनुसूची 4.6 (ख) प्रायोजित परियोजनाओं के निमित्त प्राप्तियां

राशि रु में

1. क्र.सं	2. परियोजना का नाम	3. 01.04.2021 को आदि शेष	4. वर्ष के दौरान प्राप्तियां	5. कुल	6. वर्ष के दौरान खर्च	7. 31.03.2021 को अंत शेष
1	यूजीसी प्रायोजित परियोजनाएं	35,93,502	27,417	36,20,919	12,08,808	24,12,111
2	भारत सरकार प्रायोजित परियोजनाएं	5,70,13,393	15,38,55,925	21,08,69,318	15,94,31,987	5,14,37,331
3	विदेशी निकाय प्रायोजित परियोजनाएं	1,98,96,358	3,18,30,369	5,17,26,727	1,58,49,869	3,58,76,858
4	अन्य निकाय प्रायोजित परियोजनाएं	6,07,34,940	6,59,98,635	12,67,33,575	5,45,87,927	7,21,45,648
	सीएसआईआर प्रायोजित परियोजनाएं	14,63,735	2,39,75,296	2,54,39,031	35,23,005	2,19,16,026
	आईसीएसएसआर प्रायोजित परियोजनाएं	1,29,21,381	1,55,58,869	2,84,80,250	98,92,297	1,85,87,953
	आईसीएसएसआर प्रायोजित परियोजनाएं	56,62,085	8,47,222	65,09,307	28,77,477	36,31,830
	डिपार्टमेंट आफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी	2,34,255	..	2,34,255	..	2,34,255
	अन्य निकाय - अन्य परियोजनाएं	4,20,51,517	2,56,17,248	6,76,68,765	3,82,95,148	2,93,73,617
5	डीएसटी पर्स चरण-2	2,07,59,828	9,48,806	2,17,08,634	2,16,85,685	22,949
6	डीएसटी परंपरागत ज्ञान पद्धति	93,65,999	20,95,364	1,14,61,363	29,34,976	85,26,387
7	शैक्षिक नेटवर्क ग्लोबल पहल	69,22,438	8,85,527	78,07,965	34,22,492	43,85,473
8	प्रायोजित सेमिनार/कार्यशाला	76,69,430	62,73,799	1,39,43,230	63,54,042	75,89,188
9	राष्ट्रीय पशु कल्याण तन्त्र	23,80,397	1,45,752	25,26,149	-	25,26,149
10	पर्यावरण सूचना तंत्र	44,318	36,66,776	37,11,094	27,94,809	9,16,285
11	आईसीएसएसआर इम्प्रेस	-	58,63,621	58,63,621	43,55,005	15,08,616
12	ऊपरि खर्च/सेमिनार	83,67,825	2,34,88,505	3,18,56,330	2,06,65,349	1,11,90,981
13	इन वर्षों में संचित ब्याज	49,37,98,122	4,07,96,507	53,45,94,630	85,89,680	52,60,04,950
	कुल	69,05,46,551	33,00,13,383	1,02,05,59,933	29,75,25,624	72,45,42,926

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 4.6 (ग) - प्रायोजित अध्येतावृत्तियों के निमित्त रसीद

तारीख २० प्रें

लेखा-शीर्ष (परियोजनाओं/अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों का एजेंसीवार नाम)	01-04-2020 को आदि शेष	2020-21 के दौरान लेन-देन		31.03.21 को अंत शेष
		डीआर.	सीआर.	
यूजीसी प्रायोजित अध्येतावृत्ति	5,12,98,990	2,04,45,188	3,19,185	3,11,72,987
भारत सरकार प्रायोजित अध्येतावृत्ति	77,02,579	4,74,17,142	4,07,27,086	10,12,523
अन्य निकाय प्रायोजित अध्येतावृत्ति	72,61,269	3,84,34,100	3,33,02,893	21,30,062
वर्ष के दौरान संचित ब्याज	33,65,24,752		84,43,827	34,49,68,580
आयकर से प्राप्त	2,07,876		3,866	2,11,742
कुल	40,29,95,465	10,62,96,430	8,27,96,858	37,94,95,893

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 4.6 (घ एवं ड.) - यूजीसी/भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान राशि

राशि रु. में

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क. योजनागत अनुदान राशि: भारत सरकार		
शेष राशि अग्रेनीत	8,34,90,532	8,15,98,911
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	35,82,787	47,75,034
कुल (क)	8,70,73,319	8,63,73,945
घटा: लौटाई गई धनराशि		
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	42,89,291	18,53,310
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	1,49,820	10,30,103
कुल (ख)	44,39,111	8,34,90,532
अग्रेनीत अप्रयुक्त कुल (क-ख)	8,26,34,208	8,34,90,532
ख. यूजीसी अनुदान राशि: योजनागत		
शेष राशि अग्रेनीत	11,74,57,189	2,53,16,350
वर्ष के दौरान प्राप्तियां	18,93,40,000	25,45,48,524
कुल (ग)	30,67,97,189	27,98,64,874
घटा: लौटाई गई धनराशि	3,51,74,291	4,59,847
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	5,05,06,735	6,30,88,629
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	22,11,16,163	9,88,59,209
कुल (घ)	30,67,97,189	11,74,57,189
अग्रेनीत अप्रयुक्त कुल (ग-घ)	-	11,74,57,189
ग. यूजीसी अनुदान राशि प्राप्तियां योजनेतर		
शेष राशि अग्रेनीत	-	-
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	3,65,01,66,000	4,05,56,77,000
कुल (ङ)	3,65,01,66,000	4,05,56,77,000
घटा: राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त	94	
घटा: पूंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	3,64,18,90,808	4,05,00,50,027
कुल (च)	82,75,098	56,26,973
अग्रेनीत अप्रयुक्त कुल (ङ-च)	3,65,01,66,000	-
प्राप्त कुल अनुदान राशि	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	8,26,34,208	20,09,47,722

नोट :-

अप्रयुक्त अनुदान राशि से तात्पर्य परिसंपत्ति साइड में बैंक शेष बैंक में जमा लघु अवधि जमा राशि तथा पूंजीगत लेखा अग्रिम राशि से है।

M. K. Singh
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

M. K. Singh
सहायक वित्त अधिकारी

S. C. Jaiswal
वित्त अधिकारी

अनुसूची : 5 : स्थायी परिसंपत्ति

राशि रु. में

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रीस ब्लॉक				वर्ष 2020-21 का अवमूल्यन				नेट ब्लॉक	
		01.04.20 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन	31.03.2021	31.03.2020
1	भूमि	21,08,53,672	-	-	21,08,53,672	-	-	-	-	21,08,53,672	21,08,53,672
2	साइट विकास	8,28,41,713	43,04,640	-	8,71,46,353	-	-	-	-	8,71,46,353	8,28,41,713
3	भवन	1,78,27,11,085	21,47,47,000	-	1,99,74,58,085	41,03,53,070	3,99,49,162	-	45,03,02,232	1,54,71,55,853	1,37,23,58,015
4	सड़क एवं पुल	7,44,33,209	2,88,50,042	-	10,32,83,251	76,44,537	20,65,665	-	97,10,202	9,35,73,049	6,67,88,672
5	कुएं एवं जलापूर्ति	4,25,18,776	41,95,005	-	4,67,13,781	1,24,89,887	9,34,276	-	1,34,24,163	3,32,89,618	3,00,28,889
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	50,62,510	-	-	50,62,510	16,28,158	1,01,250	-	17,29,408	33,33,102	34,34,352
7	बिजली के उपकरणों का संस्थान	20,49,90,646	1,51,76,836	-	22,01,67,482	13,73,47,678	1,10,08,374	-	14,83,56,053	7,18,11,430	6,76,42,968
8	संयंत्र एवं मशीनरी	4,61,64,187	2,99,250	-	4,64,63,437	2,05,90,130	23,23,172	-	2,29,13,302	2,35,50,135	2,55,74,057
9	वैज्ञानिक एवं लेब उपकरण	1,07,83,39,222	5,02,54,502	-	1,12,85,93,724	1,04,72,32,294	3,51,27,287	-	1,08,23,59,581	4,62,34,143	3,11,06,928
10	कार्यालयी उपकरण	6,26,48,252	33,31,979	-	6,59,80,231	4,72,23,438	49,48,517	-	5,21,71,955	1,38,08,276	1,54,24,814
11	दृश्य-श्रव्य उपकरण	11,42,26,721	21,72,139	-	11,63,98,860	7,70,86,064	87,29,915	-	8,58,15,979	3,05,82,881	3,71,40,657
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	54,63,51,158	3,54,20,742	13,23,542	58,04,48,358	48,95,68,320	4,36,41,481	10,68,591	53,21,41,210	4,83,07,148	5,67,82,838
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	24,65,68,295	76,24,510	-	25,41,92,805	20,69,06,744	1,90,64,460	-	22,59,71,205	2,82,21,600	3,96,61,551
14	वाहन	1,30,38,977	17,19,549	-	1,47,58,526	87,71,630	7,14,409	-	94,86,040	52,72,487	42,67,347
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक शोध पत्रिकाएं	68,12,09,527	53,81,118	21,995	68,65,68,650	61,60,51,295	2,02,05,048	-	63,62,56,343	5,03,12,308	6,51,58,232
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	99,64,054	1,10,612	-	1,00,74,666	99,64,054	1,10,612	-	1,00,74,666	-	-
17	अन्य	4,80,76,197	-	4,08,389	4,76,67,808	4,80,76,196	(0)	4,08,389	4,76,67,807	1	1
कुल (क)		5,24,99,98,201	37,35,87,924	17,53,926	5,62,18,32,198	3,14,09,33,496	18,89,23,627	14,76,980	3,32,83,80,143	2,29,34,52,055	2,10,90,64,705
18	चालू पूंजीगत कार्य (ख)	1,26,92,35,507	10,30,95,338	26,20,89,000	1,11,02,41,845	-	-	-	-	1,11,02,41,845	1,26,92,35,507

क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01/04/2020 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/समायोजन	कुल ऋणमुक्ति/समायोजन	31.03.2021	31.03.2020
19	सॉफ्टवेयर	5,29,45,209	2,16,21,264	-	7,45,66,473	5,27,04,649	90,02,662	-	6,17,07,311	1,28,59,162	2,40,560
20	ई-पत्रिकाएं	3,94,73,544	4,02,259	-	3,98,75,803	3,91,69,400	2,25,256	-	3,93,94,656	4,81,147	3,04,144
21	पेटेंट	1,16,39,386	-	-	1,16,39,386	25,48,347	2,60,221	-	28,08,568	88,30,818	90,91,039
कुल (ग)		10,40,58,139	2,20,23,523	-	12,60,81,662	9,44,22,396	94,88,139	-	10,39,10,535	2,21,71,127	96,35,743

कुल योग (क+ख+ग)		6,62,32,91,847	49,87,06,785	26,38,42,926	6,85,81,55,705	3,23,53,55,892	19,84,11,766	14,76,980	3,43,22,90,678	3,42,58,65,027	3,38,79,35,955
------------------------	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

नोट: चालू पूंजीगत कार्य शीर्ष के सामने ग्रीस ब्लॉक के अंतर्गत 'कटौतियां' कॉलम में दर्शाए गए आंकड़े वर्ष के दौरान चालू कार्य से परिसंपत्ति में अंतर्गत आंकड़ों को दर्शाते हैं।

परिसंपत्ति 01 से 14 के सामने ग्रीस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ष के दौरान 'परिवर्धन' कॉलम में दर्शाए गए आंकड़ों में वर्ष के दौरान और अधिक अर्जित की गई राशि के साथ-साथ उक्त वर्ष के दौरान चालू कार्य से अंतर्गत आंकड़े शामिल हैं।

पेटेंट्स की ऋणमुक्ति शैक्षिक खर्च का अंग है, न कि वर्ष के दौरान मूल्यहास का।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2020-21 का अवमूल्यन				31.03.2021	31.03.2020
		01-04-2020 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां/समायोजन	कुल अवमूल्यन		
1	भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	साइट विकास	2,75,39,765	43,04,640	-	3,18,44,405	-	-	-	-	3,18,44,405	2,75,39,765
3	भवन	1,40,70,06,803	21,47,47,000	-	1,62,17,53,803	21,04,98,960	3,24,35,076	-	24,29,34,036	1,37,88,19,767	1,19,65,07,843
4	सड़क एवं पुल	5,40,81,118	1,86,21,335	-	7,27,02,453	34,66,445	14,54,049	-	49,20,494	6,77,81,959	5,06,14,673
5	कुएं एवं जलापूर्ति	2,76,08,608	38,36,028	-	3,14,44,636	64,74,313	6,28,893	-	71,03,206	2,43,41,430	2,11,34,295
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	विजली के उपकरणों का संस्थापन	9,18,08,137	80,41,111	-	9,98,49,248	3,39,28,462	49,92,462	-	3,89,20,924	6,09,28,323	5,78,79,675
8	संयंत्र एवं मशीनरी	3,63,92,781	2,99,250	-	3,66,92,031	1,10,29,593	18,34,602	-	1,28,64,194	2,38,27,837	2,53,63,188
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	83,37,39,510	4,85,71,610	-	88,23,11,120	62,99,00,571	7,05,84,890	-	70,04,85,461	18,18,25,659	20,38,38,939
10	कार्यालयी उपकरण	3,67,50,658	33,13,180	-	4,00,63,838	1,34,68,039	30,04,788	-	1,64,72,827	2,35,91,011	2,32,82,619
11	दृश्य-श्रव्य उपकरण	9,44,86,727	19,86,055	-	9,64,72,782	4,14,33,647	72,35,459	-	4,86,69,106	4,78,03,676	5,30,53,080
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	43,63,26,799	3,02,89,568	-	46,66,16,367	42,73,64,423	1,50,20,289	-	44,23,84,712	2,42,31,656	89,62,376
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	15,43,47,673	66,78,850	-	16,10,26,523	9,04,05,181	1,20,76,989	-	10,24,82,170	5,85,44,353	6,39,42,492
14	वाहन	67,14,157	17,19,549	-	84,33,706	31,67,545	8,43,371	-	40,10,915	44,22,791	35,46,613
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक शोध पत्रिकाएं	24,10,64,332	9,20,048	-	24,19,84,380	22,30,17,464	1,81,38,872	-	24,11,56,336	8,28,044	1,80,46,868
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	65,13,116	1,800	-	65,14,916	65,13,116	1,800	-	65,14,916	-	-
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)		3,45,43,80,183	34,33,30,024	-	3,79,77,10,208	1,70,06,67,758	16,82,51,538	-	1,86,89,19,297	1,75,37,12,425	1,75,37,12,425
18	चालू पूंजीगत कार्य (ख)	1,02,13,75,560	10,17,87,340	24,53,98,335	87,77,64,565	-	-	-	-	87,77,64,565	1,02,13,75,560
क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01-04-2020 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/समायोजन	कुल ऋणमुक्ति/समायोजन	31.03.2021	31.03.2020
19	सॉफ्टवेयर	4,34,82,908	2,15,46,954	-	6,50,29,862	4,38,93,286	82,08,403	-	5,21,01,689	1,29,28,173	-4,10,378
20	ई-पत्रिकाएं	3,17,74,436	-	-	3,17,74,436	3,17,74,435	„	-	3,17,74,435	„1	1
21	पेटेंट	1,16,31,386	-	-	1,16,31,386	19,99,234	29,173	-	20,28,407	96,02,979	96,32,152
कुल (ग)		8,68,88,730	2,15,46,954	-	10,84,35,684	7,76,66,955	82,37,576	-	8,59,04,531	2,25,31,153	92,21,775
कुल योग (क+ख+ग)		4,56,26,44,473	46,66,64,318	24,53,98,335	4,78,39,10,456	1,77,83,34,713	17,64,89,114	-	1,95,48,23,827	2,65,40,08,143	2,78,43,09,760

मि. अ. ख.
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

म. व. अ.
सहायक वित्त अधिकारी

म. व. अ. ख.
वित्त अधिकारी

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2020-21 का अवमूल्यन				31.03.2021	31.03.2020
		01.04.20 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन		
1	भूमि	18,64,00,000	-	-	18,64,00,000	-	-	-	-	18,64,00,000	18,64,00,000
2	साइट विकास	14,34,798	-	-	14,34,798	-	-	-	-	14,34,798	14,34,798
3	भवन	8,46,134	-	-	8,46,134	1,97,127	16,923	-	2,14,049	6,32,085	6,49,007
4	सड़क एवं पुल	50,000	1,02,28,707	-	1,02,78,707	6,000	2,05,574	-	2,11,574	1,00,67,133	44,000
5	कुर्प एवं जलापूर्ति	62,23,340	3,58,977	-	65,82,317	12,86,883	1,31,646	-	14,18,529	51,63,788	49,36,457
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	1,19,844	-	-	1,19,844	31,997	2,397	-	34,394	85,450	87,847
7	बिजली के उपकरणों का संस्थापन	5,24,89,847	69,91,000	-	5,94,80,847	3,09,36,834	29,74,042	-	3,39,10,876	2,55,69,971	2,15,53,014
8	संयंत्र एवं मशीनरी	58,46,282	-	-	58,46,282	25,50,965	2,92,314	-	28,43,279	30,03,003	32,95,317
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	7,92,65,000	5,650	-	7,92,70,650	7,92,17,499	47,952	-	7,92,65,451	5,199	47,501
10	कार्यालयी उपकरण	1,61,87,949	18,799	-	1,62,06,748	1,11,70,258	12,15,506	-	1,23,85,764	38,20,984	50,17,691
11	दूर्य-श्रव्य उपकरण	67,68,083	1,31,554	-	68,99,637	49,43,721	5,17,473	-	54,61,193	14,38,444	18,24,362
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	5,09,39,273	1,79,872	-	5,11,19,145	5,05,02,366	4,72,880	-	5,09,75,246	1,43,898	4,36,907
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	4,95,11,613	8,12,264	-	5,03,23,877	4,08,79,983	37,74,291	-	4,46,54,274	56,69,604	86,31,630
14	वाहन	23,79,124	-	-	23,79,124	23,79,123	-	-	23,79,123	1	1
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक शोध-पत्रिकाएं	13,24,66,370	43,47,196	21,995	13,67,91,571	13,05,13,957	23,87,131	-	13,29,01,088	38,90,482	19,52,413
16	क्रम कीमत की परिसंपत्ति	34,36,281	1,07,177	-	35,43,458	34,36,280	1,07,177	-	35,43,457	1	1
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

कुल (क)	59,43,63,938	2,31,81,196	21,995	61,75,23,139	35,80,52,992	1,21,45,306	-	37,01,98,298	24,73,24,841	23,63,10,946
---------	--------------	-------------	--------	--------------	--------------	-------------	---	--------------	--------------	--------------

18	चालू पूंजीगत कार्य (ख)	8,15,54,344	13,07,998	1,66,90,665	9,95,53,007	-	-	-	9,95,53,007	8,15,54,344
----	------------------------	-------------	-----------	-------------	-------------	---	---	---	-------------	-------------

क्र.सं.	अमूर्त परिसंपत्ति	01.04.2020 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	ऋणमुक्ति आदि शेष	वर्ष के दौरान ऋणमुक्ति	कटौतियां/समायोजन	कुल ऋणमुक्ति/समायोजन	31.03.2021	31.03.2020
19	सॉफ्टवेयर	92,62,607	74,310	-	93,36,917	92,62,606	29,724	-	92,92,330	44,587	1
20	ई-शोध पत्रिकाएं	76,99,108	4,02,259	-	81,01,367	76,79,742	1,80,269	-	78,60,011	2,41,356	19,366
21	पेटेंट	8,000	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	8,000
	कुल (ग)	1,69,69,715	4,76,569	-	1,74,46,284	1,69,42,348	2,09,993	-	1,71,52,341	2,93,943	27,367

कुल योग (क+ख+ग)	69,28,87,997	2,49,65,763	1,67,12,660	73,45,22,430	37,49,95,340	1,23,55,299	-	38,73,50,639	34,71,71,791	31,78,92,657
-----------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	---	--------------	--------------	--------------

mink fo
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

unmink
सहायक वित्त अधिकारी

श. च. राजकोटी
वित्त अधिकारी

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2020-21 का अवमूल्यन				31.03.2021	31.03.2020
		01.04.20 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन		
1	पेटेंट	1,16,39,386	-	-	1,16,39,386	25,48,347	2,60,221	-	28,08,568	88,30,818	90,91,039
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	5,29,45,209	2,16,21,264	-	7,45,66,473	5,27,04,649	90,02,662	-	6,17,07,311	1,28,59,162	2,40,560
3	ई-शोध पत्रिकाएं	3,94,73,544	4,02,259	-	3,98,75,803	3,91,69,399	2,25,256	-	3,93,94,655	4,81,148	3,04,145
	कुल	10,40,58,139	2,20,23,523	-	12,60,81,662	9,44,22,395	94,88,139	-	10,39,10,535	2,21,71,127	96,35,744

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

स. व. अधिकारी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 5घ- पेटेंट एवं कॉपीराइट

राशि रु. में

विवरण	आदि शेष	परिवर्धन	समग्र	ऋण मुक्ति	नेट ब्लॉक 2020-21	नेट ब्लॉक 2019-20
क. प्रदान किए गए पेटेंट						
1 वर्ष 2012-13 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - 10,07,965/- रु.)	1,11,997	-	1,11,997	1,11,996	-	1,11,997
2 वर्ष 2013-14 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - 1,80,268/- रु.)	40,058	-	40,058	20,030	20,028	40,058
3 वर्ष 2016-17 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - 8,00,803/- रु.)	4,44,891	-	4,44,891	88,978	3,55,913	4,44,891
4 वर्ष 2018-19 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - 2,62,560/- रु.)	2,04,214	-	2,04,214	29,173	1,75,041	2,04,214
5 वर्ष 2019-20 में प्राप्त पेटेंटों का दिनांक: 31-03-2020 को शेष (मूल कीमत - Rs. 90,400/-)	80,356	-	80,356	10,044	70,312	80,356
कुल (क)	8,81,516	-	8,81,516	2,60,221	6,21,294	8,81,516

विवरण	आदि शेष	परिवर्धन	समग्र	पेटेंट प्रदान किए/	नेट ब्लॉक 2020-21	नेट ब्लॉक 2019-20
ख. लंबित पेटेंट						
लंबित निर्णय हेतु आवेदन किए गए पेटेंटों पर हुआ खर्च	82,09,523	-	82,09,523	-	82,09,523	82,09,523
कुल (ख)	82,09,523	-	82,09,523	-	82,09,523	82,09,523

ग. कुल योग (क+ख)	90,91,039	-	90,91,039	2,60,221	88,30,817	90,91,039
-------------------------	------------------	----------	------------------	-----------------	------------------	------------------

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

श. च. गडकोटा
वित्त अधिकारी

क्र.सं.	परिसंपत्ति शीर्ष	ग्रॉस ब्लॉक				वर्ष 2020-21 का अवमूल्यन				31.03.2021	31.03.2020
		01.04.20 को आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियां	अंत शेष	अव. आदि शेष	वर्ष का अवमूल्यन	कटौतियां / समायोजन	कुल अवमूल्यन		
1	भूमि	2,44,53,672	-	-	2,44,53,672	-	-	-	-	2,44,53,672	2,44,53,672
2	साइट विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नलकूप एवं जलापूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	मल व्यवस्था एवं जल निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	बिजली के उपकरणों का संस्थापन	3,00,535	1,44,725	-	4,45,260	43,434	22,263	-	65,697	3,79,563	2,57,101
8	संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	वैज्ञानिक एवं लैब उपकरण	1,03,80,105	16,77,242	-	1,20,57,347	48,10,180	9,64,588	-	57,74,767	62,82,580	55,69,925
10	कार्यालयी उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	दृश्य-श्रव्य उपकरण	50,000	54,530	-	1,04,530	11,250	7,840	-	19,090	85,440	38,750
12	कंप्यूटर एवं उनके उपकरण	61,20,665	49,51,302	-	1,10,71,967	54,98,258	22,14,393	-	77,12,651	33,59,315	6,22,407
	सॉफ्टवेयर	1,99,694	-	-	1,99,694	1,99,693	-	-	1,99,693	1	1
13	फर्नीचर, जुड़नार एवं फिटिंग	7,42,710	1,33,396	-	8,76,106	4,33,740	65,708	-	4,99,448	3,76,658	3,08,970
14	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक ई-पत्रिकाएं	2,92,59,922	1,13,874	-	2,93,73,796	1,69,08,285	29,37,380	-	1,98,45,665	95,28,131	1,23,51,637
16	कम कीमत की परिसंपत्ति	14,656	1,635	-	16,291	14,655	1,635	-	16,290	1	1
17	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	7,15,21,959	70,76,704	-	7,85,98,663	2,79,19,494	62,13,806	-	3,41,33,301	4,44,65,362	4,36,02,465
18	चालू पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (1-18)	7,15,21,959	70,76,704	-	7,85,98,663	2,79,19,494	62,13,806	-	3,41,33,301	4,44,65,362	4,36,02,465

नोट: वर्ष के दौरान परिवर्धन में निम्न परिवर्धन शामिल हैं

दिए गए उपहार	28,559
समग्र	-
अक्षय निधि	2,50,908
प्रायोजित अध्येतावृत्ति	67,97,237
कुल	70,76,704

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

श. च. गड़कोरी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 6 - समग्र निधि एवं उद्दिष्ट / अक्षय निधि से किए गए निवेश

राशि रु. में

निवेश	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1 सरकारी प्रतिभूतियां		
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3 डिबेंचर एवं बॉड (दीर्घ अवधि निवेश)	7,45,62,000	7,45,62,000
4 अन्य बैंक एफडीआर (अल्प अवधि निवेश)	1,38,10,55,049	1,34,34,41,470
कुल	1,45,56,17,049	1,41,80,03,470

उद्दिष्ट/अक्षय निधि (निधिवार)

निधि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 समग्र निधि निवेश	46,52,90,655	42,29,68,555
2 शैक्षिक विकास निधि निवेश	11,10,00,000	11,10,00,000
3 गृह निर्माण अग्रिम निधि निवेश	16,25,00,000	16,25,00,000
4 निष्पन्न फाउंडेशन निधि निवेश	9,22,89,217	9,24,03,275
5 राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि निवेश	27,61,68,624	27,61,68,624
6 अक्षय निधि निवेश	31,33,68,553	31,79,63,016
7 वाहन निवेश	3,50,00,000	3,50,00,000
कुल	1,45,56,17,049	1,41,80,03,470

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची-7 वर्तमान परिसंपत्ति

राशि रु में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1 स्टॉक:		
क) लैब रसायन एवं उपभोज्य वस्तुएं	3,43,179	7,73,587
ख) निर्माण सामग्री	9,76,060	9,41,402
ग) साफ-सफाई सामग्री	2,76,123	2,24,338
घ) विद्युत सामग्री	8,20,163	11,41,744
ङ) वर्दी एवं यूनिफॉर्म	51,053	51,374
च) दवा भंडार		3,61,441
छ) लेखन सामग्री	14,49,337	17,10,719
2 विविध देनदार		
क) छह महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण	49,473	49,473
ख) अन्य		
3 रोकड़ शेष		
क) रोकड़ उद्दिष्ट निधि, प्रायोजित अध्येतावृत्ति		
ख) रोकड़ रखरखाव, रोकड़ छात्रवृत्ति लेखा		
ग) अग्रदाय रखरखाव लेखा	3,19,975	3,19,475
घ) अग्रदाय योजना लेखा	3,000	3,000
ङ) ऑन हैंड डाकखर्च	4,11,877	2,22,437
4 अधिसूचित बैंकों में बैंक शेष (संलग्नक - क)		
क) बचत खाते में	1,53,99,39,235	
ख) चालू खाते में	12,60,596	
ग) जमा सावधि में (स्थाई जमा व आटो स्वीप सहित)	84,22,15,841	
	2,38,34,15,671	2,61,47,79,989
कुल	2,38,81,15,911	2,62,05,78,978

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

श. च. गौड़कोर
वित्त अधिकारी

संलग्नक-क		राशि रु में	2020-21
1. बैंक खाते			
	समग्र निधि खाता		87,07,970
1	समग्र बैंक खाता	87,07,970	
	डिपॉजिट फंड खाता		12,42,47,120
2	डिपॉजिट खाता	10,83,33,541	
3	छात्र सहायता निधि खाता	13,48,726	
4	छात्र खाता	1,45,64,853	
	विकास योजना निधि खाता		14,68,82,894
5	जेएनयू आरबीआई पंजीगत खाता	-	
6	पंजीगत परिसंपत्ति 035 खाता	3,69,66,066	
7	संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीबीटी खाता	7,04,043	
8	विकास योजना खाता	10,91,64,900	
9	अवसंरचना विकास निधि खाता	47,795	
	उद्दिष्ट निधि खाता		44,17,37,198
10	शैक्षिक विकास निधि खाता	2,50,94,900	
11	सीएएनबी निधि खाता	89,649	
12	मानव निधि खाता	1,61,37,282	
13	अख्य एच पीड खाता	16,28,58,490	
14	एनिसिप मुक्तकाल्य निधि खाता	39,28,107	
15	गृह-निर्माण अग्रिम निधि खाता	10,76,11,835	
16	जेएनयू अस्पृश्य वृत्तिदान निधि	10,296	
17	विपन्न फार्मेशन निधि खाता	92,97,537	
18	द्वितीय वेआरएफ अध्येतावृत्ति खाता	75,60,073	
19	द्वितीय राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति खाता	10,91,49,030	
	ईएमएफ खाता		74,39,38,691
20	सीबीटी प्रायोजित परिचोचना खाता	23,99,029	
21	टीएफटी परंपरागत ज्ञान पद्धति खाता	85,26,387	
22	पर्यावरण सृचना तंत्र खाता	9,16,285	
23	ज्ञान प्रोत्साहन खाता	43,85,473	
24	आईसीएएसआर अग्रद्वय खाता	15,08,616	
25	राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान	25,26,149	
26	पर्यटन - II खाता	22,949	
27	संगोष्ठी खाता	75,89,188	
28	प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	19,97,99,392	
29	प्रायोजित अध्येतावृत्ति (भारतीय) खाता	10,29,74,514	
30	प्रायोजित परिचोचना खाता	41,32,90,709	
	रखरखाव निधि खाता		7,56,86,047
31	गोमती अतिथि गृह खाता	1,43,261	
32	जेएनयू आरबीआई नैट-नेट खाता	-	
33	जेएनयू आरबीआई आकर्षी खाता	-	
34	जेएनयू आरबीआई वेतन खाता	-	
35	जेएनयू स्कूल ऑफ इंजीनियरी खाता	50,82,508	
36	भर्ती वीस-आइटीबीआई खाता	28,341	
37	आकर्षी 031 खाता	41,88,958	
38	सेवानिवृत्ति निधि खाता	32,71,222	
39	वेतन खाता	90,52,661	
40	छात्रवृत्ति खाता	1,75,10,815	
41	द्वितीय रखरखान खाता	3,09,56,326	
42	द्वितीय योजनागत अध्येतावृत्ति खाता	41,91,360	
43	पेंशन निधि चालू खाता	12,60,596	
	कुल		1,54,11,99,830
2. अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा एवं ऑटो स्वीप			
	कुल		84,22,15,841
	कुल		2,38,34,15,671

नमो 50
अध्यक्ष, अधिकांश (संयुक्त)

सहायक विवर अधिकारी

विवर अधिकारी

श. च. रा. रा. रा.

विवरण	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
ऋण एवं अग्रिम		
1 कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज मुक्त)		
- त्योहार	6,90,761	1,49,761
- छुट्टी यात्रा रियायत	6,73,149	24,81,888
2 अग्रिम एवं नकद स्वरूप अथवा बदले में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के बदले में वसूली योग्य अन्य राशियां		
- उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	3,46,25,682	3,46,25,682
- पूंजीगत लेखा अग्रिम-सिविल कार्य	6,95,71,294	14,52,62,635
- ईएमएफ अग्रिम		
- अन्य	6,68,38,893	8,03,62,028
3 पूर्व में भुगतान किए गए व्यय		
- बीमा		29,479
- अन्य खर्च	15,18,064	8,16,779
4 अर्जित आय लेकिन देय नहीं		
- निम्नलिखित से निवेश		
उद्दिष्ट / अक्षय निधि	1,12,30,280	67,23,620
डिपॉजिट खाता	5,94,140	7,19,767
समग्र निधि	96,66,031	1,22,42,055
प्रायोजित परियोजना / प्रायोजित अध्येतावृत्ति	44,23,397	64,56,431
रखरखाव खाता	50,13,515	
योजनागत खाता से किए गए सावधि जमा	23,64,032	32,46,475
- कर्मचारियों को देय ब्याज सहित अग्रिम	1,54,24,150	1,43,80,995
5 अन्य - वर्तमान परिसंपत्ति - प्राप्य		
- यूजीसी / भारत सरकार से प्राप्य		8,80,375
- आयकर से प्राप्य	22,86,350	41,72,086
- एनपीएस टियर-1 से प्राप्य	19,510	19,510
6 दुकानों एवं प्राप्त होने वाली रॉयल्टी से आय	2,56,91,738	2,11,68,100
7 बैंक अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां	90,90,41,102	76,08,38,082
8 प्राप्य ई-शोध पत्रिकाएं/पत्रिकाएं	6,11,629	44,129
कुल	1,16,02,83,717	1,09,46,19,877

नोट: 1. चूंकि परिक्रामी निधि स्टाफ को गृह-निर्माण, कंप्यूटर एवं वाहन अग्रिम देने के लिए सृजित की गई है। उक्त अग्रिम राशियां उद्दिष्ट/अक्षय निधि के अंग के रूप में दर्शाई जाएंगी। इन ब्याज सहित अग्रिमों के निमित्त शेष राशि इस अनुसूची में दर्शाई नहीं जाएगी।

अनुभाग
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी
सहायक वित्त अधिकारी

श. च. ज. शर्मा
वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय खाता की अनुसूचियां

अनुसूची-9 शैक्षिक प्राप्तियां

विवरण	राशि रु. में	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) शैक्षिक		
1. प्रवेश शुल्क/नामांकन शुल्क/शिक्षण शुल्क	3,55,22,557	5,53,61,481
2. पुस्तकालय शुल्क	-	48,432
ख) परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क (सीईईबी)	-	49,22,500
2. अंकतालिका, प्रमाणपत्र शुल्क	2,100	79,270
ग) अन्य शुल्क		
1. पहचानपत्र शुल्क	-	40,705
2. चिकित्सा शुल्क	-	69,948
3. अन्य विविध शुल्क	2,05,224	14,11,942
4. छात्रावास शुल्क	-	10,24,922
क. जेएनयू के प्रवेश फॉर्मों की बिक्री	49,996	4,92,675
ख. अन्य शैक्षिक प्राप्तियां		
1. कार्यशाला, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ कॉलेज)	31,25,527	10,95,000
3. दीक्षांत-समारोह के लिए पंजीकरण	3,000	3,89,823
कुल	3,89,08,404	6,49,36,698

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

विवरण	योजनागत		कुल योजनागत	रखरखाव यूजीसी	चालू वर्ष (2020-21) कुल	पिछला वर्ष (2019-20) कुल
	भारत सरकार	यूजीसी				
		योजनागत/योजनाएं				
अग्रणीत शेष	8,34,90,532	11,74,57,189	20,09,47,722	-	20,09,47,722	10,69,15,261
जमा: वर्ष के दौरान प्राप्तियां	35,82,787	18,93,40,000	19,29,22,787	3,65,01,66,000	384,30,88,787	4,31,50,00,558
कुल	8,70,73,319	30,67,97,189	39,38,70,509	3,65,01,66,000	4,04,40,36,509	4,42,19,15,819
घटा: यूजीसी को लौटाई गई राशि/रखरखाव में अंतरण	-	3,51,74,291	3,51,74,291	94	3,51,74,385	4,59,847
शेष	8,70,73,319	27,16,22,898	35,86,96,218	3,65,01,65,906	4,00,88,62,124	4,42,14,55,972
घटा: पूंजीगत खर्च के लिए व्यय (क)	1,49,820	22,11,16,163	22,12,65,983	82,75,098	22,95,41,081	10,55,16,285
शेष	8,69,23,499	5,05,06,735	13,74,30,235	3,64,18,90,808	3,77,93,21,043	4,31,59,39,688
घटा: राजस्व खर्च के लिए व्यय (ख)	42,89,291	5,05,06,735	5,47,96,026	3,64,18,90,808	369,66,86,834	411,49,91,966
अग्रणीत शेष (ग)	8,26,34,208	-	8,26,34,208	-	8,26,34,208	20,09,47,722

क. -वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि में जमा राशि तथा स्थायी परिसंपत्ति में जमा राशि के रूप में दर्शाया गया है।

ख. -आय एवं व्यय खाता में आय के रूप में दर्शाया गया है।

ग. -1) तुलनपत्र में वर्तमान देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष यह आदि शेष बन जाएगा।

ग. -2) असेट साइड में बैंक शेष, निवेश एवं अग्रिम से तात्पर्य है।

घ. उपलब्ध अनुदान राशि/सहायिकी से अधिक खर्च का वहन यूजीसी से अनुदान राशि के प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय की अन्य उपलब्ध धनराशि से अस्थायी तौर पर लिए गए आंतरिक प्राप्तियों/निधि से वहन किया गया है।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 11 : निवेश से आय

राशि रु. में

विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधि		योजनागत/योजनेत्तर	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	पिछला वर्ष	Previous Year
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. डिबेंचर एवं बॉण्ड पर	27,98,722	27,98,722	-	-
2. सावधि जमा राशि पर ब्याज / ब्याज धारक पेशगियां	10,10,01,469	9,05,34,228	4,11,68,549	3,00,36,263
3. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	5,26,281	4,86,734	-	-
कुल	10,43,26,472	9,38,19,684	4,11,68,549	3,00,36,263
समग्र निधि एवं संबंधित उद्दिष्ट / अक्षय निधि में अंतरित	10,15,27,750	9,38,19,684		
शेष	शून्य	शून्य		

नोट:-

गृह-निर्माण अग्रिम निधि, वाहन अग्रिम निधि तथा कंप्यूटर अग्रिम निधि एवं कर्मचारियों को देय ब्याज धारक अग्रिम राशि से सावधि जमा पर अर्जित अशोध्य ब्याज को यहां (मद सं. 2) में तब शामिल किया जाएगा जब ऐसी अग्रिम राशि के लिए परिक्रामी निधि (ईएमएफ) बनाई जाएगी।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 12 : अर्जित ब्याज

विवरण	राशि रु. में	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. अधिसूचित बैंकों में बचत खातों पर	30,92,831	86,91,885
2. ऋण पर		
क. कर्मचारी / स्टाफ	-	-
ख. अन्य	-	-
3. देनदारों एवं अन्य प्राप्य स्रोतों पर.	-	-
कुल	30,92,831	86,91,885

11/11/20
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

[Signature]
सहायक वित्त अधिकारी

[Signature]
स.व. जाडकोरी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 13 - अन्य आय

विवरण	राशि रु. में	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क. भूमि एवं भवनों से आय		
1. क्वार्टरों से लाइसेंस फीस	96,30,886	97,65,981
2. विद्युत प्रभार	3,12,26,094	3,85,73,852
3. जल प्रभार	77,94,444	68,48,989
4. संरक्षण प्रभार	2,42,638	2,38,110
5. अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) का किराया	86,200	57,61,956
6. दुकानों, मकानों - डाकघर, बैंक आदि से किराया	1,06,73,468	84,05,754
ख. रॉयल्टी से आय	7,60,211	9,66,677
ग. अन्य		
1. आरटीआइ शुल्क	734	2,302
2. यातायात प्रयोग प्रभार	22,400	25,200
3. परिसंपत्ति की बिक्री/निपटान पर अधिशेष	1,01,234	1,25,404
4. सीजीएचएस वसूली	1,23,30,500	2,07,47,185
5. विविध आय (निविदा फॉर्म की बिक्री, रद्दी कागज आदि)	19,187	66,384
6. विविध आय (सेवा के अयोग्य भंडार सामग्री/खाली बोतल अथवा गिलास, प्रॉसपेक्टस की बिक्री प्रक्रिया, जुर्माना एवं शास्तियां एवं अन्य विविध आय)	3,09,18,119	1,19,59,074
कुल	10,38,06,114	10,34,86,868

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 14 - पूर्व अवधि आय

विवरण	राशि रु में	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1 पूर्व अवधि आय	12,80,110	5,08,112
2 निवेश से आय	-	-
3 अर्जित ब्याज	-	-
4 अन्य आय	-	-
कुल	12,80,110	5,08,112

11/11/20
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

Mandya
सहायक वित्त अधिकारी

श. व. गि. को. 2
वित्त अधिकारी

अनुसूची 15 -स्थापना खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21			पिछला वर्ष 2019-20		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	1,10,13,731	2,01,19,60,359	2,02,29,74,090	1,84,27,938	2,01,83,55,334	2,03,67,83,272
ख) भविष्य निधि अंशदान	-	72,06,680	72,06,680	-	85,92,343	85,92,343
ग) बोनस	-	-	-	-	-	-
घ) छुट्टी यात्रा रियायत	-	99,19,460	99,19,460	-	1,93,42,722	1,93,42,722
ङ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	4,70,54,979	4,70,54,979	-	4,60,26,994	4,60,26,994
च) शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति	-	4,55,416	4,55,416	-	1,13,67,847	1,13,67,847
छ) स्टाफ कल्याण खर्च	-	2,76,050	2,76,050	-	7,13,949	7,13,949
ज) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ (पेंशन, उपदान, छुट्टी नकदीकरण)	6,95,341	1,98,38,01,937	1,98,44,97,278	10,45,150	3,11,31,63,604	3,11,42,08,754
झ) शुल्क और मानदेय	3,83,950	82,15,986	85,99,936	-	1,15,59,528	1,15,59,528
ट) छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	-	22,31,535	22,31,535	-	18,28,150	18,28,150
कुल योग	1,20,93,022	4,07,11,22,402	4,08,32,15,424	1,94,73,088	5,23,09,50,471	5,25,04,23,559

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 15 क- कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत हितलाभ

राशि रु. में

	पेंशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल
आदि शेष (01.04.2020)	12,96,58,18,949	89,39,22,680	1,00,54,64,551	14,86,52,06,180
जमा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदानों की पूंजीकृत कीमत	47,21,409	4,40,945	28,02,963	79,65,317
कुल क)	12,97,05,40,358	89,43,63,625	1,00,82,67,514	14,87,31,71,497
घटा: वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	74,49,35,307	9,82,90,369	7,04,90,598	91,37,16,274
31-03-2021 को उपलब्ध शेष (ग) = (क-ख)	12,22,56,05,051	79,60,73,256	93,77,76,916	13,95,94,55,223
बीमांकन अनुमान के अनुसार 31-03-21 को अपेक्षित प्रावधान (घ)	13,84,02,88,806	89,71,05,536	1,04,42,49,439	15,78,16,43,781
क. 2020-21 में किए जाने वाले प्रावधान (घ-ग)	1,61,46,83,755	10,10,32,280	10,64,72,523	1,82,21,88,558
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान				11,30,87,458
ग. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति				4,77,51,108
घ. सेवानिवृत्ति पर गृहनगर की यात्रा				14,70,154
ड. जमा संबद्ध बीमा भुगतान				
कुल (क+ख+ग+घ+ड)				1,98,44,97,278

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 16 -शैक्षिक खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21			पिछला वर्ष 2019-20		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1 प्रयोगशाला संचालन खर्च	32,03,673	35,20,552	67,24,225	22,43,488	22,39,636	44,83,124
2 क्षेत्र कार्य / सम्मेलनों में प्रतिभागिता	86,854	56,300	1,43,154	1,38,715	18,86,388	20,25,103
3 शिक्षण सहायक सामग्री	-	2,44,371	2,44,371	560	4,42,529	4,43,089
4 संगोष्ठी / कार्यशाला	9,05,958	55,294	9,61,252	43,38,712	1,79,306	45,18,018
5 अतिथि शिक्षक भुगतान	12,28,500	2,95,000	15,23,500	21,07,177	22,23,121	43,30,298
6 शोध गतिविधियां	-	-	-	2,37,404	1,740	2,39,144
7 परीक्षा खर्च	4,59,205	38,16,172	42,75,377	46,04,207	1,11,24,038	1,57,28,245
8 छात्र कल्याण खर्च	14,23,861	6,53,24,742	6,67,48,603	23,15,785	12,48,44,992	12,71,60,777
9 छात्रों को छात्रवृत्ति/वृत्तिका (स्टाइपेंड)	-	1,86,09,917	1,86,09,917	-	2,39,64,023	2,39,64,023
10 शोध-पत्रिकाएं एवं प्रकाशन	1,65,22,769	25,83,749	1,91,06,518	1,13,600	1,14,09,244	1,15,22,844
11 विविध शैक्षिक खर्च	4,72,531	11,32,369	16,04,900	22,12,726	7,80,823	29,93,549
कुल योग	2,43,03,351	9,56,38,465	11,99,41,816	1,83,12,374	17,90,95,840	19,74,08,214

अनुसूची 16
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

अनुभाग
सहायक वित्त अधिकारी

स. च. राइकोरी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 17 - प्रशासनिक खर्च एवं आम खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21			पिछला वर्ष 2019-20		
	योजनागत	योजनेतर	कुल	योजनागत	योजनेतर	कुल
क. अवसंरचना						
I) किराया, उपकर एवं कर	-	15,13,77,622	15,13,77,622	-	15,03,75,992	15,03,75,992
II) विद्युत खर्च	-	14,93,87,973	14,93,87,973	1,10,00,000	20,61,95,245	21,71,95,245
III) जल खर्च	-	10,53,33,103	10,53,33,103	-	15,34,77,830	15,34,77,830
IV) सुरक्षा खर्च	-	16,25,41,025	16,25,41,025	-	15,34,60,565	15,34,60,565
V) जेनेरेटर संचालन खर्च	-	1,99,964	1,99,964	-	1,99,935	1,99,935
VI) ई-गवर्नेंस	-	-	-	-	65,829	65,829
ख. संचार						
I) डाक खर्च एवं तार	-	2,24,437	2,24,437	-	20,33,056	20,33,056
II) टेलीफोन एवं फैक्स	-	17,02,847	17,02,847	-	5,12,336	5,12,336
III) इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रभार	-	60,215	60,215	5,590	19,720	25,310
ग. अन्य						
I) प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री (उपभोग)	3,87,558	29,89,669	33,77,227	3,73,007	52,52,724	56,25,731
II) समाचारपत्र एवं पत्रिकाएं	-	4,30,022	4,30,022	14,460	3,97,997	4,12,457
III) सत्कार खर्च	5,914	3,43,265	3,49,179	1,75,962	18,95,860	20,71,822
IV) उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता	-	-	-	-	44,253	44,253
V) श्रम प्रभार, दैनिक मजदूरी एवं ठेका श्रम	4,43,449	16,20,26,152	16,24,69,601	1,06,411	22,41,89,683	22,42,96,094
VI) स्थानीय सवारी	1,300	3,58,489	3,59,789	4,250	4,83,955	4,88,205
VII) संरक्षण खर्च	-	3,00,56,252	3,00,56,252	-	91,39,992	91,39,992
VIII) वर्दी	-	320	320	-	14,080	14,080
IX) फोटोकॉपी प्रभार	20,500	1,95,516	2,16,016	86,213	2,42,610	3,28,823
X) शैक्षिक संस्थानों को दिए गए अधिदान	-	1,47,225	1,47,225	-	3,04,149	3,04,149
XI) सलाहकार समितियों आदि के सदस्यों को यात्रा भत्ता	6,000	10,81,969	10,87,969	56,813	32,57,594	33,14,407
XII) विज्ञापन एवं प्रचार	-	1,69,569	1,69,569	-	1,17,110	1,17,110
XIII) कानूनी खर्च	-	20,08,541	20,08,541	-	3,46,726	3,46,726
XIV) कुलपति विवेकाधीन निधि में अंशदान आदि	-	-	-	-	-	-
XV) वार्षिक दिवस समारोह	-	-	-	-	-	-
कुल	8,64,721	77,06,34,175	77,14,98,896	1,18,22,706	91,20,27,241	92,38,49,947

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 18 - परिवहन खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21			पिछला वर्ष 2019-20		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1 वाहन(संस्था के स्वामीत्वाधीन)						
क) संचालन खर्च	-	6,68,757	6,68,757	-	12,54,755	12,54,755
ख) मरम्मत एवं रखरखाव	-	89,434	89,434	37,096	2,84,781	3,21,877
ग) बीमा खर्च	69,449	1,49,186	2,18,635	50,194	47,944	98,138
2 किराए/पट्टे पर लिए गए वाहन						
क) किराया/पट्टा खर्च	-	-	-	-	-	-
3 वाहन (टैक्सी) किराया खर्च	-	17,870	17,870	-	1,62,390	1,62,390
कुल	69,449	9,25,247	9,94,696	87,290	17,49,870	18,37,160

अनुभाग
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी
सहायक वित्त अधिकारी

श. व. गडकरी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 19 - मरम्मत एवं रखरखाव

राशि (रु.) में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21			पिछला वर्ष 2019-20		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
क) साफ-सफाई सामग्री एवं सेवाएं	41,077	13,58,130	13,99,207	80,533	23,19,792	24,00,325
ख) बागवानी	-	87,726	87,726	-	25,20,791	25,20,791
ग) भवनों का रखरखाव	15,24,180	42,03,348	57,27,528	12,13,570	44,34,436	56,48,006
घ) संपदा का रखरखाव	41,24,200	1,05,49,761	1,46,73,961	71,99,502	1,39,82,150	2,11,81,652
ङ) कार्यालयी उपकरणों का रखरखाव	38,76,876	85,49,300	1,24,26,176	20,45,803	85,06,324	1,05,52,127
च) कंप्यूटरों का रखरखाव	51,755	54,60,133	55,11,888	1,18,219	49,19,303	50,37,522
छ) फर्नीचर एवं जुड़नार का रखरखाव	10,767	9,04,294	9,15,061	11,390	5,09,007	5,20,397
ज) लैब उपकरणों का रखरखाव	63,67,457	13,00,871	76,68,328	81,207	2,33,190	3,14,397
झ) जिल्दसाजी प्रभार	-	-	-	-	-	-
कुल योग	1,59,96,312	3,24,13,563	4,84,09,875	1,07,50,224	3,74,24,994	4,81,75,218

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

अनुसूची 20 - वित्त लागत

राशि रु. में

विवरण		चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		2020-21			2019-20		
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
क)	बैंक प्रभार	3,653	15,02,434	15,06,086	9,939	10,38,205	10,48,144
ख)	अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-
कुल		3,653	15,02,434	15,06,086	9,939	10,38,205	10,48,144

मि. क. सो.
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मि. मि. मि.
सहायक वित्त अधिकारी

श. च. गडकरी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 21 - अन्य खर्च

राशि रु.में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21			पिछला वर्ष 2019-20		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
क) अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋणों / अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
ख) लावसूल शेष बट्टे खाते किया गया	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य संस्थाओं / संगठनों को दी गई अनुदान राशियां / सहायिकियां	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-
1. परिसंपत्ति की बिक्री / निपटान पर हुआ नुकसान	-	82,294	82,294	-	1,59,289	1,59,289
2. अन्य विविध प्रशासनिक खर्च	2,83,083	35,92,691	38,75,774	3,61,725	38,79,765	42,41,490
कुल	2,83,083	36,74,984	39,58,067	3,61,725	40,39,054	44,00,779

मथकं 50
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

मथकं 50
सहायक वित्त अधिकारी

स. च. जाड़कोरी
वित्त अधिकारी

अनुसूची 22 – पूर्व अवधि खर्च

राशि रु. में

विवरण	चालू वर्ष 2020-21			पिछला वर्ष 2019-20		
	योजनागत	योजनेत्तर	कुल	योजनागत	योजनेत्तर	कुल
1. स्थापना खर्च	1,06,477	2,50,50,927	2,51,57,404		41,88,018	41,88,018
2. शैक्षिक खर्च	35,07,025	1,30,89,325	1,65,96,350	41,19,081	60,25,637	1,01,44,718
3. प्रशासनिक खर्च	1,03,491	6,86,36,656	6,87,40,147	12,501	67,59,621	67,72,122
4. परिवहन खर्च	-	2,80,878	2,80,878	-	1,01,724	1,01,724
5. मरम्मत एवं रखरखाव खर्च	26,71,188	65,84,443	92,55,631	2,950	40,16,264	40,19,214
कुल	63,88,181	11,36,42,229	12,00,30,410	41,34,532	2,10,91,264	2,52,25,796

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

स. च. गडकोरी
वित्त अधिकारी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग की अनुसूचियां



जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

अनुसूची: 23

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार

ये लेखे, जब तक अन्यथा कुछ कहा न जाए, परंपरागत लागत परिपाटी (हिस्टॉरिकल कॉस्ट कनवेंशन) के अंतर्गत और सामान्यतः लेखाकरण की प्रोदभूत पद्धति (एक्रुअल मैथड) के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. राजस्व पहचान

- 2.1 छात्रों से प्राप्त फीस, (ट्यूशन फीस को छोड़कर) प्रवेश फार्मों की बिक्री, रॉयल्टी और बचत बैंक खाता पर ब्याज को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। प्रत्येक सत्र में अलग से एकत्र की गई ट्यूशन फीस को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति पर आय तथा निवेशों (अक्षय निधि को छोड़कर) पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। अधिकतर व्यक्तिगत अक्षय निधि के लिए निवेश कम होता है तथा इसके अलावा, प्रोदभूत ब्याज के साथ आय को दर्शाने पर उस सही राशि का पता नहीं चलता जो निधि विशेष के अन्तर्गत उन उद्देश्यों पर खर्च करने हेतु वास्तविक रूप में उपलब्ध है।
- 2.3 स्टाफ सदस्यों को गृह निर्माण, वाहन तथा कंप्यूटर खरीदने के लिए ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों पर ब्याज अग्रिम पर ब्याज को प्रत्येक वर्ष प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू की जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्ति और मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसम्पत्ति को आवक-भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण, संस्थापन तथा चालू होने से संबंधित प्रासंगिक व प्रत्यक्ष खर्च शामिल करके अधिग्रहण की लागत पर निर्धारित की जाती है।
- 3.2 उपहार/दान स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्ति का मूल्यन, घोषित मूल्य, जहां कहीं उपलब्ध हो, पर किया जाता है; यदि यह मूल्य उपलब्ध न हो तो परिसम्पत्ति के मूल्य का अनुमान वर्तमान बाजार मूल्य और उसकी वास्तविक दशा के आधार पर लगाया जाता है। इन परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्तियों में मिला दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है।
- 3.3 उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्यन उन पर अंकित विक्रय-मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहां मूल्य अंकित नहीं है, वहाँ आकलन के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है।
- 3.4 स्थायी परिसम्पत्ति का मूल्यन, उनकी लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर किया जाता है। स्थायी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास की स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है:

मूर्त परिसंपत्ति

1.	भूमि	0%
2.	स्थल विकास	0%
3.	भवन	2%
4.	सड़क और पुल	2%
5.	नलकूप और जलापूर्ति	2%
6.	सीवर और जल निकासी	2%
7.	विद्युत संस्थापन तथा उपकरण	5%
8.	संयंत्र और मशीनरी	5%
9.	वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
10.	कार्यालय उपकरण	7.5%
11.	दृश्य-श्रव्य उपकरण	7.5%
12.	कंप्यूटर और पेरिफरल्स	20%
13.	फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स	7.5%
14.	वाहन	10%
15.	पुस्तकालय की पुस्तकें और वैज्ञानिक शोध-पत्रिकाएं	10%

अमूर्त परिसंपत्ति (ऋण-मुक्ति)

1.	ई-शोध पत्रिकाएं	40%
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
3.	पेटेंट और कॉपीराइट	9 वर्ष

- 3.5 वर्ष के दौरान हुए परिवर्धनों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है।
- 3.6 जहां किसी परिसम्पत्ति का पूर्ण मूल्यहास हो जाता है तो उस परिसम्पत्ति को तुलन-पत्र में 1 रू. के अवशिष्ट मूल्य पर लाया जाता है और इस पर आगे मूल्यहास नहीं होगा। इसके बाद, मूल्यहास की गणना उस परिसम्पत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर से प्रत्येक वर्ष के परिवर्धनों पर प्रथक रूप से की जाती है।
- 3.7 उद्दिष्ट निधि और प्रायोजित परियोजनाओं की निधि में से सृजित की गई परिसम्पत्ति, जहां इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व विश्वविद्यालय के पास है, को पूंजी निधि में क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की स्थायी परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। संबंधित परिसम्पत्ति पर लागू दर से मूल्यहास प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित

परियोजना धनराशि में से सृजित की गई उन परिसम्पत्ति, जिनका स्वामित्व प्रायोजक के पास है, परन्तु परिसम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय द्वारा धारित हैं और वह इनका उपयोग करता है, का विवरण लेखा नोट में अलग से किया जाता है।

- 3.8 ऐसी परिसम्पत्ति जिनका प्रत्येक का पृथक मूल्य रु. 2000 या इससे कम (पुस्तकालय की पुस्तकों को छोड़कर) है, इनको 01.04.2010 से लघु मूल्य की परिसम्पत्तियाँ माना जाता है। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के अर्जन के समय इन पर 100 प्रतिशत मूल्यहास उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण और नियंत्रण धारक द्वारा जारी रहता है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

- 4.1 **पेटेंट:** पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किया गया खर्च (आवेदन शुल्क, विधिक खर्च आदि) अस्थायी रूप से पूंजीकृत किया जाता है और इसे तुलनपत्र में अलग शीर्ष के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट के लिए आवेदन रद्द हो जाता है तो जिस वर्ष में आवेदन-पत्र रद्द हुआ है उसमें पेटेंट विशेष पर खर्च किए गए संचयी व्यय को आय-व्यय खाते में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। पेटेंट के लिए खर्च को संरक्षणशील आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते कर दिया जाता है।
- 4.2 **इलेक्ट्रॉनिक शोध-पत्रिकाएँ (ई-शोध-पत्रिकाएँ):** को ऑनलाइन एक्सेस से प्राप्त सीमित लाभों के ध्यानार्थ पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है। यद्यपि, ई-पत्रिकाओं का कोई मूर्त आकार नहीं होता, अतः इनका अस्थायी रूप से पूंजीकरण इस पर हुए खर्च और शैक्षिक एवं शोध स्टाफ द्वारा अर्जित निरन्तर ज्ञान के संदर्भ में प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों के संबंध में उपलब्ध 10% मूल्यहास की तुलना में ई-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में 40% मूल्यहास की उच्चतर दर उपलब्ध कराई जाती है।
- 4.3 **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर:** सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए खर्च को कंप्यूटरों और पेरिफरल्स से अलग किया गया है, क्योंकि ये अमूर्त रूप में होने के अतिरिक्त जल्दी ही अप्रचलित हो जाते हैं। कंप्यूटर और पेरिफरल्स के लिए मूल्यहास की 20% दर की तुलना में सॉफ्टवेयर के लिए मूल्यहास की दर 40% होती है।
- 4.4 **शोध-पत्रिकाओं की सदस्यता:** एक वर्ष या कम अवधि के लिए एकल भुगतान में एक से अधिक शोध-पत्रिका की अभिदान राशि जो मौजूदा वर्ष में भिन्न-भिन्न प्रकार से अतिव्याप्त (ओवरलैप) होती है, उसे मौजूदा वर्ष के खर्च के रूप में दर्ज किया जाता है।

5. स्टॉक

रसायनों, कांच के बर्तनों, प्रकाशन सामग्री और अन्य स्टोर की खरीद पर खर्च राशि को राजस्व खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च को संस्थानों और विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तदनुसारी राजस्व खर्च को कम करते हुए वस्तु-सूची के रूप में अंतिम स्टॉक की कीमत निर्धारित की जाती है।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात् पेंशन, उपदान और छुट्टी-नकदीकरण बीमांकिक मूल्यन के आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं। जिस कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आमेलन हो जाता है उस कर्मचारी के पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान के पूंजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर जेएनयू कर्मचारियों के पेंशन अंशदान को भी पेंशन खाता के लिए प्रावधान में क्रेडिट कर दिया जाता है।

अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ जैसे - जमा राशि संबद्ध बीमा योजना, नई पेंशन योजना अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति के समय गृह नगर के लिए यात्रा का लेखा-जोखा प्रोदभूत आधार (वर्ष की समाप्ति पर वास्तविक भुगतान व बकाया बिल) पर रखा जाता है।

7. निवेश

- 7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किए जाते हैं। तथापि, तुलनपत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में हुई स्थायी कमी को दर्शाया जाता है।
- 7.2 लघु अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि दर बताई गई हो), जो भी कम हों, पर किए जाते हैं।
- 7.3 बचत बैंक खाते ऑटो स्वीप फेसिलिटी वाले खाते हैं। इनमें समयावधि के अनुसार ब्याज लगता रहता है जिसके लिए समय-समय पर धनराशि ऑटो स्वीप हो जाती है। ऐसे बचत बैंक खातों से ब्याज की आय को रिसीट आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

8. उद्दिष्ट/अक्षय निधि

निम्नलिखित दीर्घकालिक धनराशि को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक निधि का अलग बैंक खाता होता है। जिन खातों में अत्यधिक शेष होते हैं उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बॉण्ड तथा बैंक में सावधिक जमा के रूप में निवेश कर दिया जाता है। निवेश/अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन) से प्रोदभूत आधार पर प्राप्त आय और बचत बैंक खातों पर ब्याज की राशि को सम्बन्धित धनराशि में क्रेडिट कर दिया जाता है। खर्च एवं अग्रिमों (गृह निर्माण और वाहन अग्रिम धनराशि के मामले में) को निधि में डेबिट कर दिया जाता है। उद्दिष्ट धनराशि में से सृजित परिसम्पत्ति (जैसे एक्जिम बैंक पुस्तकालय - भवन और पुस्तकें) को पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में मिला दिया जाता है। संबंधित धनराशि में शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है और परिसम्पत्ति के कॉलम में बैंक में शेष, निवेश और प्रोदभूत ब्याज (मौजूदा परिसम्पत्ति) के द्वारा दर्शाया जाता है।

8.1 समग्र निधि:

समग्र निधि की शुरुआत वर्ष 1996-97 में हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समान अंशदान, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/सम्बद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में विश्वविद्यालय का हिस्सा और शोध परियोजनाओं से अंशदान को समग्र निधि का परिवर्धन माना जाता है।

यूजीसी से समान अंशदान राशि केवल वर्ष 2006-07 तक प्राप्त हुई थी।

निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर समग्र निधि का उपयोग राजस्व और पूंजीगत खर्च के लिए किया जाता है। समग्र निधि में से सृजित परिसम्पत्ति का पूंजीगत निधि में समान राशि को क्रेडिट करते हुए विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति में विलय कर दिया जाता है। समग्र निधि में से अग्रेनीत किए गए शेष को अलग बैंक खाते में शेष, भारतीय रिज़र्व बैंक के बाँड्स में निवेश और बैंक में आवधिक जमा तथा निवेश (वर्तमान परिसम्पत्ति) पर प्रोदभूत ब्याज के द्वारा दर्शाया जाता है।

8.2 शैक्षिक विकास निधि:

इस निधि की शुरुआत 1 फरवरी 2006 को हुई थी। इसका उपयोग समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित कुछ नवाचार (इनोवेटिव) कार्यक्रमों, शोध कार्यों और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के निर्वाह के लिए किया जाता है।

8.3 **गृह निर्माण अग्रिम निधि:**

यह निधि गृह निर्माण के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दी जाने वाली अग्रिमों के लिए परिक्रामी (रिवाल्विंग) निधि है।

8.4 **निष्पन्न फाउंडेशन निधि:**

निष्पन्न फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई दस लाख यूएस डालर की निधि दो भाग में थी। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में किया गया, और अर्जित ब्याज को उस भाग में जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन में किया गया परन्तु उस पर अर्जित ब्याज को भारतीय स्टेट बैंक, जेएनयू शाखा में निधि (सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों में अध्ययन करने वाले बकाया छात्रों को अध्येतावृत्तियां) की मदों पर खर्च का वहन करने हेतु तिमाही आधार पर अंतरित किया गया। 23 सितंबर 2013 को दोनों भाग इकट्ठे किए गए तथा एक अंश एसबीआइ, जेएनयू शाखा (एफसीआरए खाता) में अंतरित किया गया और दूसरे अंश को बहरीन रखा गया और आधार पर निवेश किया गया। एसबीआइ जेएनयू को अंतरित अंश को भारतीय स्टेट बैंक के साथ तीन मियादी जमा में परिवर्तित किया गया है। इस निधि की मद पर हुए खर्च का वहन बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किए जा रहे मियादी जमा के तिमाही ब्याज से किया जाता है।

8.5 **यूजीसी - जेआरएफ निधि:**

यह निधि कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

8.6 **वाहन (सवारी) निधि:**

यह निधि कार, दुपहिया वाहन और कंप्यूटर की खरीद के लिए अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को ब्याज पर दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान हेतु परिक्रामी (रिवाल्विंग) निधि है।

8.7 **एग्जिम बैंक पुस्तकालय निधि:**

यह निधि एग्जिम बैंक द्वारा इसके नाम पर पुस्तकालय का निर्माण करने और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों और वैज्ञानिक पत्रिकाओं की खरीद के लिए उपलब्ध करायी गई है।

8.8 **अनुप्रयुक्त मानव आनुवंशिकी निधि केंद्र:**

यह निधि मानव जिनेमिक्स और सम्बद्ध विषयों में महत्वपूर्ण शोध कार्यक्रम चलाने और राष्ट्रीय स्तर पर संबंध व भागीदारी स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

8.9 **राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति निधि:**

यह निधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

8.10 अलुमनी अक्षय निधि

अलुमनी अक्षय निधि की स्थापना दिनांक: 17.12.2019 को हुए अतिथियों के सम्मेलन में दिए गए व्याख्यान के अनुपालन में की गई। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि प्रत्येक केंद्रीय वित्त पोषित उच्च अध्ययन संस्थान में आईआईटी की तर्ज पर अलुमनी अक्षय निधि की स्थापना होनी चाहिए, जो निधि जेएनयू अलुमनी से प्राप्त होती है उसका उपयोग विश्वविद्यालय की संवृद्धि एवं विकास के लिए किया जाता है।

8.11 अक्षय निधि:

अक्षय निधि ऐसी धनराशि है जो दाताओं द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर चेयर स्थापित करने, मैडल, पुरस्कार और छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों और अन्य संगठनों से प्राप्त होती है। प्रत्येक अक्षय निधि का अपना-अलग से निवेश होता है, सभी अक्षय धनराशि के लिए एक ही बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि इनके अनिवेशित शेष नगण्य होते हैं। पदक, पुरस्कार और छात्रवृत्तियों पर हुए खर्च का वहन निवेश पर अर्जित ब्याज से ही किया जा सकता है। तथापि, पीठों (चेयर्स) पर हुए खर्च का वहन निधि (अर्जित ब्याज और उसे वापस निधि में जोड़ने सहित) से किया जाता है।

प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से प्राप्त आय को निधि में जोड़ दिया जाता है। बचत बैंक खाता पर प्राप्त ब्याज को सभी अक्षय धनराशि में वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के अन्त शेष के अनुपात के अनुसार बांट दिया जाता है। पीठ (चेयर), पदक और पुरस्कारों पर खर्च राशि को सम्बन्धित अक्षय धनराशि में डेबिट कर दिया जाता है और शेष को अग्रेनीत कर दिया जाता है। शेष को आर.बी.आई. बॉण्ड और आवधिक जमा में निवेश और सभी अक्षय के लिए समान बचत बैंक खाता में कुल शेष के द्वारा दर्शाया जाता है।

9. सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि

- 9.1 सरकारी अनुदानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों को नकदीकरण के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। फिर भी, जहाँ किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान को जारी करने के लिए मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है तो इस अनुदान को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा इसके समान राशि अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दर्शायी जाती है।
- 9.2 पूंजीगत खर्चों के लिए उपयोग की गई सरकारी अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि को पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है।
- 9.3 राजस्व खर्च वहन के लिए सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि (प्रोदभूत आधार पर), किए गए उपयोग की सीमा तक, को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष में अनुदान का नकदीकरण हुआ है।
- 9.4 अप्रयुक्त अनुदानों (इन अनुदानों में से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रेनीत कर दिया जाता है और तुलन-पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

10. उद्दिष्ट/धनराशि का निवेश और इन निवेशों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय:

इन धनराशि में उपलब्ध राशि, जो खर्च के लिए तुरन्त अपेक्षित नहीं है, को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बॉण्ड या बैंक में आवधिक जमा के रूप में निवेश किया जाता है, इसमें बचत बैंक खाता के शेष को छोड़ दिया जाता है।

इन निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोदभूत एवं देय ब्याज तथा प्रोदभूत एवं अदेय ब्याज को संबंधित धनराशि में जोड़ दिया जाता है और उसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

- 11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि को "वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान - वर्तमान देयताएं - अन्य देयताएं - चालू प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्तियां" शीर्ष में क्रेडिट कर दिया जाता है। जब कभी इन परियोजनाओं की राशि में से खर्च किया जाता है/अग्रिम का भुगतान किया जाता है या संबंधित परियोजना खाते को निर्धारित ऊपरी शीर्ष प्रभार के साथ डेबिट किया जाता है तो देयता खाता को डेबिट कर दिया जाता है।
- 11.2 कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्तियों (जेआरआफ) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित उद्दिष्ट निधि के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों द्वारा भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। ऐसे खर्च जो सामान्यतः अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होते हैं, जिनमें शोधार्थी और छात्र द्वारा आकस्मिक खर्च शामिल है, को छोड़कर इनका लेखा भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही रखा जाता है।
- 11.3 विश्वविद्यालय स्वयं भी अध्येतावृत्तियां और छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के शैक्षिक खर्च के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10(23 सी) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। अतः लेखाओं में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

महेश्वर
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

महेश्वर
सहायक वित्त अधिकारी

स. च. जाड़कोटी
वित्त अधिकारी

अनुसूची: 24

आकस्मिक देयताएं और लेखा नोट

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों, ठेकेदारों द्वारा जेएनयू के विरुद्ध दर्ज किए गए 175 मुकदमों (पिछले वर्ष 171) और ठेकेदारों के साथ माध्यस्थम मामले निर्णय के लिए लम्बित थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों में स्थापना - अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, निलम्बन आदि से संबंधित थे। इन दावों की राशि का पता लगाना संभव नहीं है। ठेकेदारों द्वारा किए गए मुकदमों और माध्यस्थम मामलों के दावों की राशि शून्य (पिछले वर्ष राशि शून्य) है।
- 1.2 जेएनयू की ओर से बैंक द्वारा साख-पत्र (लैटर्स ऑफ क्रेडिट) खोला गया और 31.03.21 को बकाया राशि 1.69 करोड़ थी (पिछले वर्ष में यह राशि 6.88 लाख थी)।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष ठेकों की लागत और जिनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए (अग्रिमों की निवल) की राशि 84.27 करोड़ रु. रही। (पिछले वर्ष में यह राशि 94.80 करोड़ रु. थी)

3. स्थायी परिसम्पत्ति

- 3.1 वर्ष 2020-21 में अनुसूची 5 की स्थायी परिसम्पत्ति में हुए परिवर्धन में योजनागत धनराशि रु. 34,33,30,024/-, योजनेतर धनराशि (रु. 2,31,81,196 /-) समग्र निधि (कोई नहीं), अक्षय निधि (2,50,908/- रु.) प्रायोजित परियोजनाएं (रु. 67,97,237/-) और विश्वविद्यालय को उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकालय पुस्तकें और रु. 28,559/- राशि अन्य परिसंपत्ति से खरीदी गई परिसम्पत्ति शामिल हैं। ये परिसम्पत्ति पूंजीगत निधि में जमा करके स्थापित की गई हैं।
- 3.2 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और पूर्व वर्षों के तुलन-पत्रों में योजनागत धनराशि में से सृजित स्थायी परिसम्पत्ति और योजनेतर धनराशि से सृजित स्थायी परिसम्पत्तियों को अलग-अलग नहीं दर्शाया गया था। वर्ष 2004-2005 के दौरान योजनागत, योजनेतर धनराशि तथा अन्य धनराशि से हुए परिवर्धनों और उन परिवर्धनों पर मूल्यहास को स्थायी परिसम्पत्ति की मुख्य अनुसूची (अनुसूची-5) की उप अनुसूची 5ए और 5बी और 5सी में अलग-अलग दर्शाया गया है।
- 3.3 अनुसूची 5 में दर्शायी गई स्थायी परिसम्पत्तियों में वे परिसम्पत्ति शामिल नहीं हैं जिनकी खरीद प्रायोजित परियोजना धनराशि में से की गई है, और जो विश्वविद्यालय के धारित हैं तथा इसके द्वारा प्रयोग की जा रही हैं, क्योंकि परियोजना संविदाओं में शामिल अनुबंधों के अनुसार परियोजना धनराशि में से खरीदी गई सभी परिसम्पत्ति प्रायोजकों की संपत्ति रहेंगी।

ऐसी परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

परिसम्पत्ति	01.04.2020 को वास्तविक लागत	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रु.)	कुल (रु.)	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के लिए नोशनल मूल्यहास (रु.)	कुल मूल्यहास	31.03.2021 को कुल बुक मूल्य (रु.)
प्रयोगशाला उपस्कर	1,00,03,23,332	3,55,19,435	1,03,58,42,767	44,85,62,271	8,28,67,421	53,14,29,692	50,44,13,075
कंप्यूटर	1,86,02,394	20,03,649	2,06,06,043	1,65,03,538	41,02,504	2,06,24,746	1
विद्युत व अन्य उपकरण	44,28,398	1,13,516	45,41,914	10,67,739	2,27,095	12,94,835	32,47,080

- 3.4 विश्वविद्यालय ने कुल 1011.45 एकड़ भूमि में से 159.13 एकड़ भूमि आईसीसीएसएसआर, एनआईआई, केवीएस, एनएससी/आईयूएसी, डेलनेट, यूजीसी, एआईसीटीई, आईआईएमसी, आईसीजीईबी, डीवीबी तथा एनआईपीजीआर को पट्टे के आधार पर दी हुई है। भवनों तथा भवन बने हुए एरिया और भवनों के आस पास के एरिया पर स्वामित्व का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।

1. पेटेंट-

वर्ष 2011-12 के दौरान पहली बार पेटेंट पर खर्च के संबंध में पहली बार लेखांकन नीति तैयार की गई है। वर्ष 2008-2009 और 2010-2011 के दौरान मंजूर हुए पेटेंट पर खर्च की गई राशि और 31.03.2011 के अनुसार लंबित पेटेंट के आवेदनों पर खर्च को वर्ष 2011-2012 के लेखाओं में पूंजीगत निधि में क्रेडिट करते हुए स्थापित किया गया। वर्ष 2013-14 से 2020-21 में खर्च की गई राशि को सीधे शीर्ष में डेबिट कर दिया गया है। पेटेंट्स पर ऋणमुक्ति को शैक्षिक खर्च के अंग के रूप में सृजित किया गया है। वर्ष के दौरान पेटेंट्स पर ऋणमुक्ति जो 2,60,221/-रु. की राशि का है, यह शैक्षिक खर्च का अंग है न कि आय एवं व्यय लेखा का मूल्यहास है।

2. अनुदान-

विश्वविद्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में सिगल ट्रेजरी अकाउंट (टीएसए) प्रणाली को अपनाया है। स्वायत्त निकायों (एबी) के लिए टीएसए प्रणाली का उद्देश्य स्वायत्त निकायों को सरकारी अनुदान 'उचित समय पर' जारी करना तथा स्वायत्त निकाय के पास धन की पार्किंग से बचना है। इससे एकमुश्त नकद हस्तांतरण से भी बचा जा सकेगा तथा जरूरत पड़ने पर सरकारी खाते से आहरण की सुविधा मिल सकेगी। विश्वविद्यालय में वर्तमान में टीएसए प्रणाली के तहत पांच खाते रोकड़ बहियां हैं।

3. जमा देयताएं-

वित्तीय वर्ष 2018-19 से पहले बयाना राशि जमा और सुरक्षा जमा के रूप में 1,64,346/- की बकाया राशि को अदावी जमा के रूप में राजस्व खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था तथा वर्ष 2020-21 में विविध आय के रूप में हिसाब दर्शाया गया था।

4. निष्पन्न फाउंडेशन निधि-

वर्ष 2013-14 में इस निधि के लिए लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया गया था। 23.09.2013 तक समग्र निधि का निवेश बहरीन देश में किया गया। 2,50,000 यूएस डॉलर के प्रथम भाग का अलग से निवेश किया गया तथा अर्जित ब्याज को जोड़कर पुनः निवेश किया गया। 7,50,000 यूएस डॉलर के दूसरे भाग का भी निवेश किया गया, परन्तु ब्याज प्रत्येक तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक के जेएनयू के खाते में अंतरित किया गया। इसे छात्रों को अध्येतावृत्ति के खर्च के लिए प्रयोग किया गया। 24.09.2013 को 3,00,000 यूएस डॉलर भारतीय स्टेट बैंक में जेएनयू के खाते में अंतरित किए गए (₹. 1,86,94,500/- के समकक्ष) तथा 8,12,476.29 यूएस डॉलर (समग्र यूएस डॉलर 7,00,000+यूएस डॉलर 1,12,476.79 का ब्याज) भारतीय स्टेट बैंक, बहरीन देश में मियादी जमा रखा गया। वर्ष 2013-14 में बचत खाता शेष में से ₹. 13,05,500/- की बचत खाता राशि के साथ ₹. 1,86,94,500/- की राशि को 70 लाख, 70 लाख और 60 लाख की 3 मियादी जमा में परिवर्तित कर दिया गया। ऐसी जमा राशि पर तिमाही ब्याज को अध्येतावृत्तियों के संवितरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस निधि के बचत बैंक खाता में क्रेडिट किया जाता है।

5. सेवानिवृत्ति लाभ-

वर्ष 2012-13 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार योजनागत पदों के लिए अदा किए गए सेवानिवृत्ति लाभ और स्थापना खर्च को केवल योजनागत अनुदानों में ही डेबिट किया गया है।


6. वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबन्धन के मतानुसार वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण और अग्रिमों का सामान्यतः नकदीकरण करने पर जो मूल्य होता है वह कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाए गए कुल मूल्य के बराबर होता है।


- 6.1 किसी विशेष समय धनराशि के अभाव में तथा अपरिहार्य प्रतिबद्धता देयताओं के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय अस्थायी व्यवस्था करता है तथा एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि का अंतरण करता है। यूजीसी से अनुदान राशि प्राप्त हो जाने के बाद इसकी प्रतिपूर्ति (पुनः प्राप्ति) की जाती है। यूजीसी से अनुदान राशि के प्राप्त न होने के कारण प्रतिपूर्ति न किए जाने वाली धनराशि के अंतरण को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मौजूदा परिसंपत्ति ऋण अग्रिम तथा मौजूदा देयताएं के अंतर्गत दर्शाया गया है।
7. बचत बैंक खाता, चालू खाता (पेंशन) और बैंक में मियादी जमा खातों में शेष राशि के विवरण अनुसूची 7 में संलग्न 'ए' में दिए गए हैं। ऑनलाइन फीस के संग्रहण के लिए चार बैंक खाते खोले गए। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार इन खातों में बैंक शेष रिसीट अवेडिंग बैंक ट्रांसफर में दर्शाया गया है। अतः इसे अनुलग्नक 'क' में शामिल नहीं किया गया है।
8. पिछले वर्षों के आंकड़ों का यथावश्यक पुनः वर्गीकरण किया गया है।
9. अंतिम लेखाओं में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया गया है।
10. अनुसूची 1 से 24 तक इसके साथ संलग्न हैं और यह 31 मार्च 2021 के तुलनपत्र और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय व व्यय लेखा के एक अभिन्न अंग हैं।
11. चूंकि भविष्य निधि खाता और नई पेंशन योजना खाता का स्वामित्व इस धनराशि के सदस्यों के पास होता है, न कि विश्वविद्यालय के पास। अतः इन खातों को वर्ष 2004-2005 से विश्वविद्यालय के खातों से अलग किया गया है। तथापि, प्राप्ति और अदायगी खाता, आय और व्यय खाता (प्रोदभूत आधार पर) और भविष्य निधि खाता के तुलनपत्र के साथ-

साथ वर्ष 2020-21 के लिए नई पेंशन योजना के तुलन-पत्र (बैलेंस-सीट) विश्वविद्यालय के लेखाओं के साथ संलग्न किया गया है। पीआरए नम्बर आबंटित 804 कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा हिस्सा (76.43 करोड़ रु.) 31 मार्च 2021 तक नेशनल सिक्स्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)-सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

12. योजनागत कॉलम के अंतर्गत खर्च में यूजीसी के नियमानुसार विकास योजनागत पूंजीगत अनुदान (035) तथा योजनागत योजनाएं शामिल हैं। योजनेतर अनुदान राशि के अंतर्गत खर्च में यूजीसी के नियमानुसार वेतन: (036) तथा आवर्ती (031) के तहत रखरखाव अनुदान शामिल है।
13. विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के दिनांक 17 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. 29-4/2012-आईएफडी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संशोधित लेखा प्रपत्र को अंगीकृत कर लिया है।


अनुभाग अधिकारी (लेखा)


सहायक वित्त अधिकारी


स.च. जाड़कोटी
वित्त अधिकारी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि रु में

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आदि शेष			I. व्यय:		
क) हाथ रोकड़	5,44,912	5,58,174	क) स्थापना	30,67,01,792	31,97,72,619
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक	76,25,59,584	91,67,36,910
चालू खातों में	6,97,31,667	6,87,04,992	ग) शैक्षिक	11,46,02,497	19,06,38,445
बचत खातों में	1,57,93,14,115	1,82,01,95,064	घ) परिवहन खर्च	8,30,113	15,76,820
डिपॉजिट खातों में			ङ) मरम्मत एवं रखरखाव	3,06,95,125	4,59,38,331
II. प्राप्त की गई अनुदान राशि	3,86,19,10,311	4,31,50,00,558	च) पूर्वावधि खर्च	15,06,086	10,48,144
क) योजनागत - भारत सरकार			ज) पूर्वावधि खर्च	12,16,58,784	2,60,34,542
ख) योजनागत - यजीसी			II. समग्र निधि	29,56,268	18,17,005
ग) योजनेतर - यूजीसी			III. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त भुगतान	18,94,56,873	2,11,89,188
III. शैक्षिक प्राप्तियां	3,48,21,631	4,58,32,407	IV. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त भुगतान	27,85,64,482	52,88,40,878
IV. पूंजीगत / समग्र निधि	4,29,47,185	5,15,86,847	V. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों / छात्रवृत्तियों के निमित्त भुगतान	12,02,63,668	13,77,82,637
V. उद्दिष्ट / अक्षय निधि के निमित्त प्राप्तियां	26,64,65,895	8,64,51,823	V. निवेश	1,84,03,92,067	3,98,30,72,650
VI. प्रायोजित परियोजनाओं / योजनाओं के निमित्त प्राप्तियां	31,47,49,920	51,56,07,758	VI. क) उद्दिष्ट / अक्षय निधि में से		
VII. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों / छात्रवृत्तियों के निमित्त प्राप्तियां	9,67,65,427	16,08,55,915	ख) स्वयं की निधियों में से (निवेश - अन्य)		
VIII. निवेश से आय	3,71,63,507	3,24,29,964	अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा	9,56,45,49,288	11,73,12,09,755
क) उद्दिष्ट / अक्षय निधि			VII. स्थायी परिसंपत्ति तथा चालू पूंजीगत कार्य पर खर्च	9,62,37,421	10,48,80,094
ख) अन्य निवेश			क) स्थायी परिसंपत्ति		
IX. प्राप्त ब्याज	30,93,421	89,49,331	ख) पूंजीगत चालू कार्य		
क) बैंक जमा राशि			VIII. वैधानिक भुगतान सहित अन्य भुगतान	1,03,20,031	9,03,31,149
ख) बचत बैंक खाते			IX. लौटाई गई अनुदान राशि	5,39,95,909	4,59,847
X. निवेश	1,79,80,69,967	3,86,55,78,187	X. जमा राशि एवं अग्रिम	20,66,93,736	31,03,83,225
XI. अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा	9,68,79,09,892	11,54,35,47,458	XI. अन्य भुगतान		
XII. अन्य आय	4,67,52,585	5,49,41,498	क) वेतन संबंधी भुगतान	2,95,81,99,444	3,21,63,33,552
XIII. जमा राशि एवं अग्रिम	23,34,70,485	17,26,66,560	XII. अंत शेष		
XIV. वैधानिक प्राप्तियों सहित विविध प्राप्तियां	4,51,72,880	5,69,56,261	क) हस्त रोकड़		5,44,912
XV. अन्य प्राप्तियां (वर्तमान परिसंपत्ति (प्राप्ति योग्य))	8,32,34,052	47,77,73,687	ख) बैंक शेष		
			चालू खातों में	12,60,596	6,97,31,667
			बचत खातों में	1,54,06,74,087	1,57,93,14,115
कुल	18,20,21,17,851	23,27,76,36,484	कुल	18,20,21,17,851	23,27,76,36,484

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि रु में

राशि 31 मार्च 20	देयता	राशि 31 मार्च 21	राशि 31 मार्च 20	परिसंपत्ति	राशि 31 मार्च 21
1,34,40,55,781	सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) आदि शेष 1,34,40,55,781 घटा: मार्च, 2020 का अभिदान 1,67,51,429 <hr/> 1,32,73,04,352 जमा: वर्ष भर का अभिदान 20,42,68,130 जमा: मार्च, 2021 का अभिदान 1,58,72,083 जमा: जमा किया गया ब्याज 9,36,40,087 घटा: अग्रिम / निकासी 23,98,41,022	1,40,12,43,630	1,32,61,49,723	निवेश 31/03/2020 को निवेश 1,32,61,49,723 जमा: वर्ष के दौरान निवेश 30,00,00,000 घटा: वर्ष के दौरान नकदीकृत निवेश 28,55,97,991 <hr/> 24,38,21,442 प्रोदभूत परंतु अशोध्य ब्याज 31-03-2020 को प्रोदभूत ब्याज 24,38,21,442 जमा: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज 5,85,99,944 घटा: मार्च 2020 को प्रोदभूत ब्याज 6,16,19,197	1,34,05,51,732
15,47,16,245	अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) आदि शेष 15,47,16,245 घटा: मार्च, 2020 का अभिदान 16,20,400 <hr/> 15,30,95,845 जमा: वर्ष भर का अभिदान 1,79,44,256 जमा: मार्च, 2021 का अभिदान 12,58,866 जमा: जमा किया गया ब्याज 1,03,13,541 घटा: अग्रिम / निकासी 2,52,75,409	15,73,37,099	1,90,50,529	मार्च, 2021 के लिए देय अभिदान सामान्य भविष्य निधि 1,58,72,083 अंशदायी भविष्य निधि 12,58,866 विश्वविद्यालय अंशदान 5,59,720 <hr/> 74,60,534 ऑटो स्वीप निवेश 4,69,55,539 <hr/> 16,35,064 लंबित धन-वापसी पर वसूला गया ब्याज आयकर से आरंभिक 60,73,111	1,76,90,669
9,54,19,050	विश्वविद्यालय का अंशदान आदि शेष 9,54,19,050 घटा: मार्च, 2020 का अभिदान 6,78,700 <hr/> 9,47,40,350 जमा: वर्ष भर का अभिदान 76,31,088 जमा: मार्च, 2021 का अभिदान 5,59,720 जमा: जमा किया गया ब्याज 82,12,698 घटा: अग्रिम / निकासी 1,70,15,717	9,41,28,139	5,90,95,474	हाथ रोकड़ एसबीआई, जेएनयू शाखा-1 8,41,19,692 एसबीआई, जेएनयू शाखा-2 6,70,429 आईसीआईसीआई बैंक 23,90,450	8,71,80,571
48,23,751	रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान सीवीपी आदि	48,79,866			
5,81,97,939	आरोक्षत ब्याज आदि शेष 5,81,97,939 जमा: खर्च से आय की अधिकता 2,34,67,138	8,16,65,077			
1,65,72,12,766	कुल	1,73,92,53,811	1,65,72,12,766	कुल	1,73,92,53,811

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय खाता

राशियाँ रु में

राशि 31 मार्च 20	खर्च	राशि 31 मार्च 21	राशि 31 मार्च 20	आय	राशि 31 मार्च 21
1,416	बैंक प्रभार	1,711	6,50,94,855	निवेश पर अर्जित ब्याज तथा ऑटो स्वीप	13,73,24,448
	ब्याज निम्नलिखित में जमा किया गया:			जमा: मार्च 2021 को प्रोदभूत ब्याज	5,85,99,944
9,53,31,777	जीपीएफ खाता	9,36,40,087		जमा: संचयी ब्याज पर टीडीएस की कटौती	13,29,980
1,19,13,278	सीपीएफ खाता	1,03,13,541		घटा: मार्च 2020 के लिए प्रोदभूत ब्याज	6,16,19,197
82,92,979	विश्वविद्यालय अंशदान	82,12,698	5,04,44,595		
0	व्यय से आय की अधिकता	2,34,67,138		- घटा (आय से व्यय की अधिकता)	-
11,55,39,450	कुल	13,56,35,175	11,55,39,450	कुल	13,56,35,175

अधिकारी
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी
सहायक वित्त अधिकारी

स. व. गडकोरी
वित्त अधिकारी

भविष्य निधि खाता
वित्त वर्ष 2020-21 का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

राशि रु में

पिछला वर्ष	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
	01/04/2020 को आदि शेष		21,53,90,202	जीपीएफ अग्रिम / निकासी	23,98,41,022
	एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	1,66,19,602	4,15,44,491	सीपीएफ अग्रिम / निकासी	2,52,75,409
	एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	6,52,501	1,62,53,320	विश्वविद्यालय अंशदान	1,70,15,717
5,06,18,490	आईसीआईआई बैंक	4,18,23,371	5,90,95,474	1,416 बैंक प्रभार	1,711
4,95,82,374	31.03.2020 को ऑटोस्वीप		74,60,534	30,95,00,000 वर्ष के दौरान निवेश	30,00,00,000
	जीपीएफ अभिदान	20,42,68,130	74,60,534	ऑटोस्वीप बैलेंस 31.03.2021 तक	4,69,55,539
	सीपीएफ अभिदान	1,79,44,256	51,545	ऑटोस्वीप पर टीडीएस की कटौती	31,08,067
24,65,80,206	विश्वविद्यालय का अंशदान	76,31,088	22,98,43,474	20,000 रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान, सीवीपी आदि	15,14,815
22,57,96,000	निवेश नकदीकरण		28,55,97,991	31/03/2021 को अंत शेष	
7,14,42,592	प्राप्त ब्याज	13,66,52,679		एसबीआई, जेएनयू शाखा-1	8,41,19,692
5,63,224	ऑटोस्वीप पर प्राप्त ब्याज	6,71,769	13,73,24,448	एसबीआई, जेएनयू शाखा-2	6,70,429
0	निवेश पर प्रोत्साहन राशि		5,90,95,474	आईसीआईआई बैंक	23,90,450
47,34,096	रखरखाव खाता में अंतरण योग्य भविष्य निधि खाता में प्राप्त उपदान, सीवीपी आदि		0		8,71,80,571
		15,70,930			
64,93,16,982	कुल	72,08,92,851	64,93,16,982	कुल	72,08,92,851

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

स. व. गड्कोरी
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि में

राशि 31 मार्च 20	देयता	राशि 31 मार्च 21	राशि 31 मार्च 20	परिसंपत्ति	राशि 31 मार्च 21
6,04,368	एनपीएस टियर-1 खाता आदि शेष घटा: मार्च, 2020 का अभिदान+वि.वि. अंशदान <hr/> जमा: वर्ष के दौरान अभिदान+वि.वि. अंशदान जमा: अभिदाता के खाते में जमा ब्याज <hr/> घटा: एनएसडीएल को अंतरित जमा: मार्च 2020 का अभिदान+वि.वि. अंशदान	6,04,368 0 <hr/> 6,04,368 0 <hr/> 0 <hr/> 6,04,368 0 <hr/> 0	6,04,368	एनपीएस टियर-1 खाता 0 मार्च 21 के लिए देय अभिदान ऑटो स्वीप खाता: आदि शेष घटा: स्वीप डेबिटेड <hr/> जमा: ऑटो स्वीप पर ब्याज का पुनर्निवेश 31.03.2021 को ऑटो स्वीप पर प्रोदभूत ब्याज आयकर विभाग से रिफंड होने तक ब्याज पर वसूला गया कर बैंक शेष	0 92,23,358 0 <hr/> 92,23,358 0 76,706 36,290 6,69,208 12,84,323
94,16,535	व्यय से आय की अधिकता 31/03/2020 को शेष जमा: वर्ष के दौरान	94,16,535 5,99,774	1,00,16,309		
1,00,20,903	कुल	1,06,20,677	1,00,20,903	कुल	1,06,20,677

मि.के.के.
अनुभाग अधिकारी (लेखा)

म.प.म.
सहायक वित्त अधिकारी

स.च. रा.स.को.टी.
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता

वित्तीय वर्ष 2020-21 का आय एवं व्यय लेखा

राशि रु में

राशि 31 मार्च 20	व्यय	राशि 31 मार्च 21	राशि 31 मार्च 20	आय	राशि 31 मार्च 21
6,55,360	आय से व्यय की अधिकता	5,99,774	6,55,360	बचत एवं ऑटो स्वीप खाते पर अर्जित ब्याज 6,15,115 जमा: 31-03-2021 को स्वीप खाते पर प्रोदभूत ब्याज 76,706 <hr/> 6,91,821 घटा: 31.03.2020 को प्रोदभूत ब्याज 92,047 <hr/>	5,99,774
6,55,360	कुल	5,99,774	6,55,360	कुल	5,99,774

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

स. च. गडकरी
वित्त अधिकारी

एनपीएस टियर-1 खाता
वित्त वर्ष 2020-21 का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

राशि रु प्रे

पिछला वर्ष	प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
3,624	01.04.2020 को आदि शेष	6,69,208	92,23,358	ऑटो स्वीप निवेश	92,23,358
92,23,358	31.02.2021 को ऑटो स्वीप	92,23,358	6,69,208	31.03.2021 को अंत शेष	12,84,323
2,805	बचत खाते के संचालन पर प्राप्त ब्याज	20,168			
6,62,779	ऑटो स्वीप निवेश पर ब्याज	5,94,947			
98,92,566	कुल	105,07,681	98,92,566	कुल	105,07,681

अनुभाग अधिकारी (लेखा)

सहायक वित्त अधिकारी

श. च. जाड़कोटी
वित्त अधिकारी

प्रश्न: लेखाओं की लेखापरीक्षा के अर्थ में लिखित प्रतिवेदन का अर्थ है।
उत्तर: लेखाओं की लेखापरीक्षा के अर्थ में लिखित प्रतिवेदन का अर्थ है कि लेखाओं की लेखापरीक्षा के अर्थ में लिखित प्रतिवेदन का अर्थ है।

लेखाओं की लेखापरीक्षा

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लेखाओं की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1966 की धारा 20(1) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के तुलन-पत्र (संलग्नक) तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा प्राप्त एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की गई है। उक्त वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रबंधन का है। हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बेहतरीन लेखाकरण पद्धतियों, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटन नियमों आदि के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में लेखाकरण ट्रीटमेंट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की टिप्पणियां हैं। कानून, नियम तथा विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता एवं कार्य-निष्पादन पक्ष आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया जाता है।

3. यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि यह लेखापरीक्षा तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करते हुए इस प्रकार नियोजित एवं निष्पादित की जाए कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक गलतबयानी से मुक्त है। लेखापरीक्षा में, परख आधार पर, जांच, राशियों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन आदि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होते हैं। यह लेखापरीक्षा हमारी विचार-अभिव्यक्ति का युक्तियुक्त आधार है।

4. इस लेखापरीक्षा के आधार पर सूचित किया जाता है कि:

- (i) लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार रिपोर्ट में टिप्पणी के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए गए हैं।
- (ii) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र, आय तथा व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा आदि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र(फॉर्मेट) में तैयार किए गए हैं।
- (iii) हमारे विचार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने उचित लेखा-पुस्तिकाओं तथा अन्य संगत अभिलेखों का रखरखाव किया हुआ है। यह ऐसी पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है।
- (iv) यह भी सूचित किया जाता है कि:

क. तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

क. 1 देयताएं

क. 1.1. पूंजीगत निधि (अनुसूची-1) रु. (-) 1178.41 करोड़

31 मार्च 2021 की अवधि को समाप्त जेएनयू के पास 1178.41 करोड़ रुपए की निगेटिव पूंजीगत निधि शेष थी। किंतु पूंजीगत निधि को देयताओं के तहत ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाने के बजाए इसे एसेट साइट के तहत सकारात्मक शेष के रूप में दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप उस राशि की देयताओं और परिसंपत्तियों का अधिक विवरण दिया गया। पिछले एसआर में भी जेएनयू प्रबंधन को मामले की सूचना देने के बावजूद भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क. 1.2 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-4) रु. 1823.63 करोड़

जेएनयू के लेखाओं, रोकड़ बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच से पता चला है कि जेएनयू द्वारा अपने समर्पित निधियों/लेखाओं में उपलब्ध निधियों से प्रशासनिक प्रकृति का व्यय किया जा रहा था कुछ इस तरह के लेनदेन का विवरण नीचे दिया गया है।

क. 2019-20 के दौरान रु. 1.10 करोड़ का बिजली का खर्च संयुक्त प्रवेश परीक्षा खाते से जेएनयू द्वारा स्थानांतरित किया गया।

ख. वर्ष 2020-21 के दौरान संपत्ति कर के भुगतान हेतु सेवानिवृत्ति निधि खाते से जेएनयू द्वारा रु. 15.04 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई।

90.50 करोड़ रु. की स्थानांतरित राशि के शेष को वर्तमान देयताओं के साथ-साथ ऋण, अग्रिम तथा जमा शीर्ष के तहत भुगतान हेतु प्रतीक्षित अन्य निधियों से स्थानांतरित तथा प्राप्ति हेतु प्रतीक्षित अन्य निधि से स्थानांतरण के रूप में जेएनयू के खातों को अलग-अलग दिखाया गया था।

चूंकि ये स्थानांतरण और उसके बाद के समायोजन जेएनयू की आंतरिक फंडिंग व्यवस्था थी, अंतिम खातों में उनका विवरण/चित्रण गलत था तथा जिसके परिणामस्वरूप इसकी परिसंपत्ति और देयताओं के रु. 90.50 करोड़ अधिक दिखाया गया था।

ख. आय एवं व्यय खाता

ख. 1 आय

ख. 1.1 सहायता अनुदान/सहायिकी (अनुसूची-10) रु. 369.67 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जेएनयू को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) से पूर्वोत्तर के छात्रों के छात्रावास के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत की चौथी किश्त के रूप में 9.25 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। निधि के अलग-अलग लेखांकन के अनुदेश के बावजूद इस राशि को उपर्युक्त अनुसूची में दर्शाया गया था। यूजीसी योजनागत/योजना के तहत 30.68 करोड़ रु. की कुल राशि से (अथशेष रु. 11.75 करोड़ तथा वर्ष के दौरान 18.93 करोड़ रु. प्राप्त राशि) 3.52 करोड़ रु. की राशि यूजीसी को वापस कर दी गई तथा शेष राशि (डोनर से प्राप्त निधि सहित) को राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग के रूप में दर्शाया गया था।

यद्यपि 2020-21 के दौरान, जेएनयू ने पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु कोई भुगतान नहीं किया था। वर्ष के दौरान 9.25 रुपए के अनुदान की प्राप्ति के बावजूद कोई भी भुगतान, अंतशेष में शून्य शेष दर्शाया है। जेएनयू ने डोनर से प्राप्त/उपयोग की गई निधि का विवरण नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा डोनर से प्राप्त अनुदानों से संबंधित शेष में शून्य को सत्यापित नहीं कर सका।

ग. सहायक अनुदान राशि

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय को 384.31 करोड़ रु. (योजनागत: 19.29 करोड़ रु. तथा योजनेतर: 365.02 करोड़ रु.) की अनुदान राशि प्राप्त हुई। 20.09 करोड़ रु. योजनागत अनुदान अथशेष था। विश्वविद्यालय ने 392.62 करोड़ रु. (योजनागत 27.60 करोड़ रु. तथा योजनेतर 365.02 करोड़ रु.) की राशि का उपयोग किया तथा 31 मार्च 2021 को 3.52 करोड़ रु. की योजनागत अनुदान राशि वापस की गई/समाप्त हो गई, जिससे 8.26 करोड़ रु. की अनुदान राशि का अंतशेष रहा।

घ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से जेएनयू के कुलपति के ध्यान में लाया गया है।

(v) पिछले पैराओं में लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के अधीन सूचित किया जाता है कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्त एवं भुगतान लेखा आदि लेखा-पुस्तिकाओं से मेल खाते हैं।

(vi) हमारे विचार से लेखाकरण नीतियों एवं लेखा नोट के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण की टिप्पणी सं. बी-1.1 के अनुसार तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक में उल्लेखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं उचित प्रतीत होते हैं।

क. जहां तक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कामकाज की स्थिति पर तुलन-पत्र का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं; तथा

ख. जहां तक उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के घाटे का सवाल है, ये उससे मेल खाते हैं।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

-६-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक:

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास)

संलग्नक - क

1. आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षा तंत्र

- वर्ष 2020-21 के दौरान जेएनयू के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा कोई भी यूनिट प्लांड/कवर्ड नहीं की गई है। यद्यपि वर्ष 2020-21 तक मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा किया जा चुका है।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता।

- आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण की निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढीकरण की आवश्यकता है।
- बैंक समाधान विवरण पर अनुवर्ती कार्रवाई
- बाहरी लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए प्रबंधन का उत्तर प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि दिनांक: 31.03.2021 को 2002-03 से 2019-20 की अवधि के दौरान 69 पैरा बकाया थे।
- 31.03.2021 को 51 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।

3. स्थायी परिसंपत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

- 31.03.2021 तक पुस्तकों तथा प्रकाशनों सहित स्थाई परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा चुका है।

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन का तंत्र

- 31.03.2021 तक लेखन सामग्री एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा चुका है।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

- दिनांक: 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक की कोई वैधानिक राशि बकाया नहीं थी।

- ६० -

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 पूंजीगत निधि (अनुसूची -1) – रु. (-) 1178.41 करोड़

31 मार्च 2021 की अवधि को समाप्त जेएनयू के पास 1178.41 करोड़ रु. की ऋणात्मक पूंजीगत निधि थी। किंतु, पूंजीगत निधि को देयताओं के तहत ऋणात्मक शेष के रूप में दर्शाने के बजाय इसे परिसंपत्ति पक्ष के तहत धनात्मक शेष के रूप में दर्शाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस राशि की देयताओं और परिसंपत्तियों का अधिक विवरण दिया गया। पिछले एसएआर में भी जेएनयू प्रबंधन को मामले की सूचना देने के बावजूद भी कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियां

विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2005-06 में पहली बार सेवानिवृत्ति हितलाभ का प्रावधान किया। यह कार्डिनल सिद्धांत के आधार पर है कि सभी लाभ और हानि मालिकों से संबंधित हैं, व्यय से अधिक आय को पूंजीगत निधि में जोड़ा जाना चाहिए और आय से अधिक व्यय को पूंजीगत निधि से घटाया जाना चाहिए। पिछले सभी वर्षों के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ और मूल्यहास के प्रावधानों के कारण आय और व्यय खाते में बड़े घाटे के कारण, पूंजीगत निधि वित्तीय वर्ष 2005-06 में जमा शेष के साथ बंद हो गई।

चूंकि लेखांकन मानक ऋणात्मक पूंजी निधि पर निःशब्द है, विश्वविद्यालय या तो ऋणात्मक पूंजीगत निधि को ऋणात्मक राशि के रूप में देयताओं के पक्ष में प्रदर्शित कर सकता है या फिर परिसंपत्ति की तरफ डेबिट शेष के रूप में प्रदर्शित कर सकता है। पहले विकल्प को लेकर दो बड़ी आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति यह है कि आमतौर पर बैलेंस शीट या आय और व्यय खाते या अनुसूचियों में अंतिम आंकड़े ऋणात्मक नहीं हो सकते। दूसरे, यदि इसे एक ऋणात्मक आंकड़े के रूप में दर्शाया भी जाता है, तो दर्शाई गई कुल देयदाएं (अन्य जमा शेष से सम्बद्ध ऋणात्मक शेष राशि को अलग करने) या देयताओं की सही स्थिति को नहीं दर्शाएंगी।

इस प्रकार विश्वविद्यालय तुलन पत्र के परिसंपत्ति शीर्ष के अंतिम मद के रूप में ऋणात्मक पूंजीगत निधि को प्रदर्शित करने को प्राथमिकता देता है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं के उसी प्रारूप पर विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट, नवंबर 2000 द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप भी अप्रत्यक्ष रूप से “विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला गया है) के रूप में” परिसंपत्ति पक्ष पर अंतिम शीर्ष के रूप में ऋणात्मक पूंजीगत निधि को प्रदर्शित करने की अनुमति देते हैं।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से विश्वविद्यालय के तुलनपत्र के परिसंपत्ति शीर्ष के तहत ऋणात्मक पूंजीगत निधि शेष प्रदर्शित हो रहा है और इसे लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह संरक्षीकरण के लेखांकन परिपाटी के अनुसार भी है। लेखांकन के संरक्षीकरण की परिपाटी सभी नुकसानों और देयताओं को प्रदान करने तथा लाभ और परिसंपत्ति को कम करने की सलाह देती है।

अतः विश्वविद्यालय ने तुलन पत्र के परिसंपत्ति शीर्ष पर पूंजीगत निधि दिखाकर देयताओं को कम नहीं किया है। यद्यपि, विश्वविद्यालय डीजीए (एचईएंडएसडी) के निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखाओं में पूंजीगत निधि को प्रस्तुत करेगा।

क. 1.2 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-4) रु. 1823.63 करोड़

जेएनयू के लेखाओं, रोकड़ बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच से पता चला है कि जेएनयू द्वारा अपने समर्पित निधियों/खातों में उपलब्ध निधियों से प्रशासनिक प्रकृति का व्यय किया जा रहा था कुछ इस तरह के लेनदेन का विवरण नीचे दिया गया है।

क. 2019-20 के दौरान रु. 1.10 करोड़ का बिजली का खर्च संयुक्त प्रवेश परीक्षा खाते से जेएनयू द्वारा स्थानांतरित किया गया।

ख. वर्ष 2020-21 के दौरान संपत्ति कर के भुगतान हेतु सेवानिवृत्ति निधि खाते से जेएनयू द्वारा रु. 15.04 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई।

90.50 करोड़ रु. की हस्तांतरित राशि के शेष को वर्तमान देयताओं के साथ-साथ ऋण, अग्रिम तथा जमा शीर्ष के तहत भुगतान हेतु प्रतीक्षित अन्य निधियों से स्थानांतरण तथा प्राप्ति हेतु प्रतीक्षित अन्य निधि से स्थानांतरण के रूप में जेएनयू के खातों को अलग-अलग दिखाया गया था।

चूंकि ये स्थानांतरण और उसके बाद के समायोजन जेएनयू की आंतरिक फंडिंग व्यवस्था थी, अंतिम खातों में उनका विवरण/चित्रण गलत था तथा जिसके परिणामस्वरूप इसकी परिसंपत्ति और देयताओं को रु. 90.50 करोड़ अधिक दिखाया गया था।

विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियां

यह प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय 2019-20 से ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय के वित्तीय संकट के बारे में अवगत कराया जाए, जिसके कारण विश्वविद्यालय अपने आवर्ती व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं था जोकि अनिवार्य प्रकृति के हैं, जैसे- बिजली के बिल, पानी के बिल, आउटसोर्स/संविदा कर्मचारियों को भुगतान आदि, जिनके भुगतान में देरी भी नहीं की जा सकती है। अनेक अनुरोध पत्र लिखने के अलावा, विश्वविद्यालय के कई अधिकारी अनुदान जारी करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय का लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि अनुदान की कमी को पूरा किया जा सके। विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार अनुदान जारी करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2019-20 से वेतन शीर्ष के तहत आउटसोर्स/संविदा कर्मचारियों को वेतन शीर्ष के तहत अनुदान देना बंद कर दिया है और तब से इसे आवर्ती शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय को यह भी अवगत कराया गया है कि इसकी वजह से, हालांकि वेतन शीर्ष के तहत खर्च कम किया गया था; लेकिन, आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत व्यय में वृद्धि हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय से तदनुसार आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत अनुदान में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया था। यहां यह भी बताना प्रासंगिक है कि भारत सरकार ने निर्देश दिया था कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान संविदा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अवश्य किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से निधि की प्राप्ति में लंबित होने के कारण विश्वविद्यालय के पास एक खाते से दूसरे खाते में अस्थायी रूप से निधि के हस्तांतरण द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से संविदा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जैव प्रौद्योगिकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईईबी) खाते से 110 करोड़ रुपए के बिजली के बिल के भुगतान के संबंध में, यह कहना है कि सीईईबी खाते में निम्नलिखित मदों से निधि जमा की गई है:

1. प्रवेश फॉर्म की बिक्री (सीईईबी)
2. प्रश्न पत्रों की बिक्री (सीईईबी)

3. प्रवेश शुल्क (सीईईबी)
4. निवेश पर ब्याज (सीईईबी)
5. बचत खाते पर ब्याज (सीईईबी)

सीईईबी खाते की प्राप्तियों की प्रकृति से, यह स्पष्ट है कि ये प्राप्तियां भी विश्वविद्यालय के राजस्व का एक स्रोत हैं और यूजीसी से जारी आवर्ती अनुदानों के पूरक के लिए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

चूंकि जून, 2020 माह तक आवर्ती शीर्ष के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं थी तथा 15 प्रतिशत की छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति कर का भुगतान अग्रिम रूप से करना था। संपत्ति कर राशि अर्थात् 15.04 करोड़ रूपए के समतुल्य राशि को सक्षम प्राधिकारी के उचित अनुमोदन से सेवानिवृत्ति निधि खाते से अस्थायी रूप से हस्तांतरित कर दी गई थी। चूंकि यह भुगतान अनिवार्य/सांविधिक प्रकृति का था अतः इसका भुगतान न करने पर/विलंब से भुगतान करने से 15% की छूट का नुकसान हो जाता।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी रूप से निधि का हस्तांतरण विश्वविद्यालय की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। जब कभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पर्याप्त निधि जारी की जाएगी, तब इसकी भरपाई अथवा संबंधित खातों अथवा शीर्षों में निधि वापस स्थानांतरित कर दी जाएगी।

लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी भुगतान को व्यय नहीं माना जा सकता जैसेकि अग्रिम, निवेश अथवा अस्थायी हस्तांतरण को भुगतानकर्ता के लेखाओं में चालू संपत्ति के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे वापस प्राप्त करना होता है और प्राप्तकर्ता के लिए वर्तमान देयता बन जाती है क्योंकि प्राप्त की गई निधि को वापस करना होता है। तदनुसार, भुगतानकर्ताओं के लेखाओं में सभी अस्थायी हस्तांतरणों को चालू संपत्ति के रूप में माना गया है। दूसरी ओर, लेखाओं में प्राप्त निधि को प्राप्तकर्ताओं के लेखाओं में चालू देयताओं के रूप में माना गया है। चूंकि विश्वविद्यालय का समेकित वार्षिक लेखा एक ही शीर्ष के तहत तैयार किया जाता है और सभी लेखा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं का हिस्सा होते हैं। अस्थायी हस्तांतरण को प्रकट किया गया है और उप-शीर्ष "अन्य निधियों में हस्तांतरण के बाद पावती की प्रतीक्षा" के तहत विश्वविद्यालय की परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही साथ सभी अस्थायी प्राप्तियों को प्रकट किया गया है और उप-शीर्ष "भुगतान की प्रतीक्षा में अन्य निधियों से हस्तांतरण" के तहत विश्वविद्यालय की देयताओं के रूप में दर्शाया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से विश्वविद्यालय को पर्याप्त निधि प्राप्त होने पर सभी अस्थायी हस्तांतरण का निपटारा किया जाएगा। अतः परिसंपत्ति और देयताओं का कोई अधिक विवरण नहीं है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख. 1 आय

ख. 1.1 सहायता अनुदान सहायिकी (अनुसूची-10) रु. 369.67 करोड़

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जेएनयू को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) से पूर्वोत्तर के छात्रों के छात्रावास के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत की चौथी किश्त के रूप में 9.25 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। निधि के अलग-अलग लेखांकन के अनुदेश के बावजूद उपर्युक्त अनुसूची में दर्शाया गया था। यूजीसी योजनागत/योजना के तहत 30.68 करोड़ रु. की कुल राशि से (अथशेष रु. 11.75 करोड़ तथा वर्ष के दौरान 18.09 करोड़ रु. प्राप्त राशि) 3.52 करोड़ रु. की राशि यूजीसी को वापस कर दी गई तथा शेष राशि (डोनर से प्राप्त निधि सहित) को राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग के रूप में दर्शाया गया था।

यद्यपि 2020-21 के दौरान, जेएनयू ने पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया था। वर्ष के दौरान 9.25 रुपए के अनुदान की प्राप्ति के बावजूद कोई भी भुगतान, अंतशेष में शून्य दर्शाया है। जेएनयू ने डोनर से प्राप्त/उपयोग की गई निधि का विवरण नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा डोनर से प्राप्त अनुदानों से संबंधित शेष में शून्य को सत्यापित नहीं कर सका।

विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियां :

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है तथा अगले वित्तीय वर्ष में इसका अनुपालन किया जाएगा।

ग. सहायक अनुदान राशि

वर्ष 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालय को 384.31 करोड़ रु. (योजनागत: 19.29 करोड़ रु. तथा योजनेतर: 365.02 करोड़ रु.) की अनुदान राशि प्राप्त हुई। 20.09 करोड़ रु. योजनागत अनुदान अथशेष था। विश्वविद्यालय ने 392.62 करोड़ रु. (योजनागत 27.60 करोड़ रु. तथा योजनेतर 365.02 करोड़ रु.) की राशि का उपयोग किया तथा 31 मार्च 2021 को 3.52 करोड़ रु. की योजनागत अनुदान राशि वापस की गई/समाप्त हो गई जिससे 8.26 करोड़ रु. की अनुदान राशि का अंतशेष रहा।

विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियां:


लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित आंकड़े गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदानों के तथ्यात्मक प्रस्तुति हैं और अनुसूची 10-अनुदान/सब्सिडी से सहमत हैं।

घ. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से कुलपति, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ध्यान में लाया गया है।

विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियां

उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन पत्र के माध्यम से कुलपति, जेएनयू के ध्यान में लाई गई कमियों को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और अलग से जवाब दिया गया है।



अनूप कुकसाल
वित्त अधिकारी

संलग्नक - क

1. आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षा तंत्र

- वर्ष 2020-21 के दौरान जेएनयू के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा कोई भी यूनिट प्लांड/कवर्ड नहीं की गई है। यद्यपि वर्ष 2020-21 तक मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय की अभ्यक्तियां

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विंग कोविड-19 महामारी की वजह से लाकडाउन लगने तथा विश्वविद्यालय के अधिकतर अनुभागों के बंद होने के कारण किसी भी अनुभाग का लेखापरीक्षा नहीं कर सका।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता।

- आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण की निम्नलिखित क्षेत्रों में सुदृढीकरण की आवश्यकता है।
- बैंक समाधान विवरण पर अनुवर्ती कार्रवाई
- बाहरी लेखापरीक्षा आपतियों के लिए प्रबंधन का उत्तर प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि दिनांक:31.03.2021 को 2002-03 से 2019-20 की अवधि के दौरान 69 पैरा बकाया थे।
- 31.03.2021 को 51 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बकाया थे।

विश्वविद्यालय की अभ्यक्तियां

अनुपालन हेतु नोट किया गया:

आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग सभी संबंधित शाखाओं को लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तर भेजने के लिए नियमित रूप से अनुस्मारक पत्र भेजता रहा है। वर्ष 2017-18 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुल 52 पैरा बकाया थे, उनमें से 4 पैराओं का समाधान हो चुका है तथा वित्त वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा पार्टी (ऑडिट पार्टी) द्वारा 25 नए पैरा जोड़े गए थे। अभी तक कुछ के उत्तर प्राप्त हुए हैं तथा समाधान हेतु उन्हें लेखापरीक्षा को भेजा गया। लेखापरीक्षा के पैराओं के उत्तर पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अनुभागों को अनुस्मारक भी भेजे गए हैं। इस संबंध में सभी संस्थानों/केंद्रों आदि के साथ नियमित रूप से संपर्क किया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन तंत्र

- 31.03.2021 तक पुस्तकों तथा प्रकाशनों सहित स्थाई परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय की अभ्यक्तियां

कोई टिप्पणी नहीं

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन का तंत्र


- 31.03.2021 तक लेखन सामग्री एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा चुका है।

विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियां
कोई टिप्पणी नहीं

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

- दिनांक: 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 6 माह से अधिक की कोई वैधानिक राशि बकाया नहीं थी।

विश्वविद्यालय की अभ्युक्तियां
कोई टिप्पणी नहीं



अनूप कुकसाल
वित्त अधिकारी